रजिस्टर्ड सं० डी—(डी एन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 11, 1987 (चैत्र 21, 1909)

No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 11, 1987 (CHAITRA 21, 1909)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गयी विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	347
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	413
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	473
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	* *
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	2703
भाग III—खण्ड 2—पेटेण्ट कार्यालय द्वारा जारी की गयी पेटेण्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	251
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1391
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	51
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	347
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	413
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	473
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2703
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	251
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1391
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	51
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

* Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 1987

सं० 35-प्रेज/87—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को वीरता के लिए "शौर्य चक्र" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. श्री चतुर सिंह,
जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 6 दिसम्बर, 1981)

6 दिसम्बर, 1981 को करीब 10-12 लुटेरों ने श्री गोवर्धन के घर पर धावा बोल दिया और गोलीबारी की की आड़ में लूटपाट मचाई । उनके पड़ोसी श्री चतुर सिंह ने लुटेरों को ललकारा और वहीं एक लुटेरे को गोली से मार गिराया तथा तीन अन्य को जख्मी कर दिया । इन्होंने लुटेरों द्वारा लूटी हुई सम्पत्ति का अधिकांश भाग बरावद कर लिया । अन्य लुटेरे लूटी हुई शेष सम्पत्ति लेकर भाग निकले ।

लोक सेवा में की गई इस कार्रवाई में श्री चतुर सिंह ने अपने जीवन को जोखिम में डालकर अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया ।

2. कुमारी निर्मला देवी,
जिला गोविन्दपुर, राजपुरा ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 29 मार्च, 1984)

29 मार्च, 1984 की रात लगभग 11.30 बजे कुछ डाकू श्री गुरदेव सिंह के घर में घुस आए । श्री गुरदेव सिंह की 14-15 साल की पुत्री कुमारी निर्मला अंदर सो रही थीं । डाकुओं ने जब संदूक उठाया तो ये जाग गई और करीब चार सौ गज की दूरी तक डाकुओं का पीछा करते हुए अपने साथ लाई हुई गंडासी से एक डाकू पर हमला कर दिया । लेकिन पास ही छिपे हुए दूसरे डाकू ने इनके सिर पर वार किया जिससे ये जख्मी हो गई । चोट लगने के बावजूद ये "चोर-चोर" चिल्लाते हुए डाकुओं का पीछा करती रहीं । इनके साहस और सूझबूझ के फलस्वरूप गांव के लोग डाकुओं को पकड़ने में सफल हो गए ।

इस प्रकार इतनी कम उम्र में कुमारी निर्मला देवी ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया ।

3. श्री शांति कुमार राय,
इलाहाबाद । (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 20 जून, 1984)

20/21 जून, 1984 की रात लगभग 9.15 बजे डाकुओं के एक गिरोह ने मिर्जापुर जिले के थाना लालगंज, गांव जेकर कलां निवासी श्री राम खिलावन सिंह से हाथ की घड़ी और 350/- रुपये छीन लिए और उसके बाद वे डोवर बाजार गांव में पहुंचे । ग्रामीण बैंक के प्रबंधक श्री शांति कुमार राय बैंक के पास अपने घर के बाहर सो रहे थे । वहां से गुजर रहे डाकुओं की गतिविधियों पर उन्हें शंका हुई और उन्हें ललकारा । डाकू इनके पास आए और इनसे बैंक की चाबी मांगी । श्री राय ने चाबी देने से मना कर दिया और उनमें से दो को पकड़ लिया । इस पर डाकुओं ने उन पर गोली चलाई और उनके घर को लूट लिया । शोर सुनते ही गांव के लोग वहां आ गए और उनमें से एक ने हवा में गोली चलाई । लेकिन डाकू भागने में सफल हो गए । इस घटना में श्री राय और एक अन्य व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हो गई ।

इस प्रकार श्री शांति कुमार राय ने असाधारण साहस और कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

4. मेजर भारत भूषण बसरा (आई० सी० 28172),
तोपखाना ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 2 नवम्बर, 1984)

2 नवम्बर, 1984 को मेजर भारत भूषण बसरा, मेजर जे० पी० सिंह, के साथ यूनिट के अभ्यास कैम्प के लिए पोखरण से होते हुए 27 बातानुकूलित एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे । पोतारोहेण मुख्यालय बम्बई के मेजर ए० एस० घुम्मन भी अपने परिवार के साथ उसी डिब्बे में यात्रा कर रहे थे । जब गाड़ी सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन दिल्ली पहुंची तो तुरन्त ही एक दंगई भीड़ ने इस पर आक्रमण किया और दंगे के जोश में एक समुदाय विशेष के लोगों को गाड़ी से बाहर खींच कर निर्ममता से उनकी हत्या करने लगी ।

इस दंगई भीड़ ने उस डिब्बे पर भी आक्रमण किया जिसमें मेजर घुम्मन यात्रा कर रहे थे और मांग की कि वह और उनका परिवार उन्हें सौंप दिया जाए । अपने जीवन की परवाह न करते हुए मेजर भारत भूषण बसरा ने मेजर

जे० पी० सिंह की मदद से डिब्बे का दरवाजा बंद कर दिया और दोनों डिब्बे के बाहर पहरेदारी करने लगे। यद्यपि दंगई भीड़ ने इन्हें भयानक परिणामों की धमकी दी, उन्होंने अडिग साहस से दंगईयों का मुकाबला किया और भीड़ को डिब्बे से दूर हटाकर अपने सहकर्मी अफसर और उसके परिवार की अमूल्य जानें बचाई।

इस प्रकार मेजर भारत भूषण बसरा ने सेना की सर्वोत्तम परम्पराओं के अनुरूप आदर्श कर्तव्यनिष्ठा और अदम्य साहस का परिचय दिया।

5. मेजर जसविंदर पाल सिंह (आई० सी०–30574), आर्टिलरी,

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 2 नवम्बर, 1984)

2 नवम्बर, 1984 को मेजर जसविंदर पाल सिंह यूनिट के अभ्यास कैम्प के लिए पोखरण पर्वतमाला से होकर 27 वातानुकूलित एक्सप्रैस से यात्रा कर रहे थे। यात्रारोहण मुख्यालय, बम्बई के मेजर ए० एस० घुम्मन भी अपने परिवार के साथ उसी डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। जब गाड़ी सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन, दिल्ली पहुंची तो तुरन्त ही एक दंगई भीड़ ने इस पर आक्रमण किया और दंगे के जोश में एक समुदाय विशेष के सदस्यों को बाहर खींचकर निर्ममतापूर्वक उनकी हत्या करने लगी।

इस दंगई भीड़ ने उस डिब्बे पर भी आक्रमण किया जिसमें मेजर घुम्मन यात्रा कर रहे थे और मांग की कि वह और उनका परिवार उन्हें सौंप दिया जाए। मेजर जसविंदर पाल सिंह ने, अपनी जान की परवाह न करते हुए मेजर बसरा की मदद से डिब्बे का दरवाजा बन्द कर दिया और उसके बाद दोनों बाहर पहरे पर खड़े हो गए। यद्यपि भीड़ ने उन्हें भयानक परिणामों की धमकी दी, उन्होंने अडिग साहस से भीड़ के क्रोध का सामना किया और भीड़ को डिब्बे से दूर हटाकर अपने एक सहकर्मी अफसर और उसके परिवार की अमूल्य जाने बचाई।

इस प्रकार मेजर जसविंदर पाल सिंह ने, सेना की सर्वोत्तम परम्पराओं के अनुरूप आदर्श कर्त्तव्य-निष्ठा और अदम्य साहस का परिचय दिया।

6. श्री तिलक कुमार तिवारी,
भोपाल, मध्य प्रदेश।
(मरणोपरान्त)।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 2 दिसम्बर, 1984)

श्री तिलक कुमार तिवारी दिसम्बर, 1984 में राजकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल, के विद्यार्थी थे। 2/3 दिसम्बर, 1984 की आधी रात में भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्टरी में एक सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना हुई। यद्यपि उन्हें इस बात की पूरी तरह से जानकारी थी कि गैस बहुत ही जहरीली किस्म की है और इससे उनके जीवन को खतरा हो सकता है, फिर भी उन्होंने गैस वाले स्थान से असहाय पीड़ितों और मृतकों को हटाने में सक्रिय भाग लिया। इस कार्रवाई में वे स्वयं प्राण-घातक गैस की चपेट में आ गए और मृत्यु को प्राप्त हुए।

श्री तिलक कुमार तिवारी ने, असाधारण साहस का परिचय दिया और अपनी जान की कीमत चुका कर कर्तव्य-निष्ठा तथा मानव-जाति के प्रति निःस्वार्थ सेवा का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया।

7. जी/63549 एच० अधीक्षक बी० आर ग्रेड-2 विशम्भर सिंह (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि: 23 जनवरी, 1985)

1985-86 में कश्मीर घाटी में पिछले दो दशकों में सबसे अधिक ठंड पड़ी। इस दौरान वनिहाल क्षेत्र में तापमान–14° सेल्सियस के आस-पास रहा और लगभग 100 कि० मी० प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती रहीं।

23 जनवरी, 1985 को जवाहर सुरंग क्षेत्र में आए अभूतपूर्व बर्फीले तूफान से भारी हिमस्खलन हुआ जिससे सुरंग के दोनों सिरे बंद हो गए। सुरंग की छत में बर्फ जमकर नीचे की ओर लटक गई थी जिसके कारण अंदर बहुत कम दिखाई देने लगा था। यातायात अवरुद्ध हो गया और कश्मीर घाटी का देश के शेष भाग से सम्पर्क टूट गया।

अधीक्षक बी/आर० ग्रेड-2 श्री विशम्भर सिंह (1674 सुरंग अनुरक्षण यूनिट) को सुरंग का प्रवेश-द्वारा और उसके अन्दर छत से लटकी बर्फ हटाने का कार्य सौंपा गया। सुबह 10 बजे के लगभग सुरंग के पश्चिमी भाग के दक्षिण द्वारा से बर्फ हटाने के पश्चात् वे सुरंग की छत से लटकी बर्फ हटाने के लिए आगे बढ़े। बर्फ हटाने वाले मजदूर सुरंग की छत से भारी हिम खंड गिर पड़ने और उसके नीचे दब जाने या सुरंग में भरी जहरीली गैस से बीमार हो जाने के डर से सुरंग के अन्दर जाने में झिझक रहे थे। उनका डर दूर करने के लिए श्री सिंह खुद सुरंग के अन्दर गए और अपने आदमियों के साथ प्रवेश द्वारा की बर्फ हटाने के काम में जुट गए। बर्फ हटाने का काम आगे बढ़ रहा था लेकिन इसी बीच जब ये बर्फ की लटकी हुई एक भारी नुकीली चट्टान हटा रहे थे तभी एक विशाल हिमखण्ड इनके तथा अन्य तीन मजदूरों के ऊपर जा गिरा जिससे श्री सिंह के सिर पर गंभीर चोटें आईं और अन्य मजदूरों को भी थोड़ी बहुत चोटें लगीं। यह दल वहां से तुरंत हटा दिया गया लेकिन श्री सिंह की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई।

इस प्रकार श्री विशम्भर सिंह ने अपने जीवन की आहुति दे कर असाधारण साहस, कर्त्तव्यनिष्ठा और जिम्मेदारी की उच्च भावना का परिचय दिया।

8. 1550692 सैपर (ओ० ई० एम०) जाधव तुकाराम बसंतराव

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 23 मार्च, 1985)

बर्फ के मौसम में 1985 में श्रीनगर लेह सड़क से बर्फ हटाने के लिए सैपर ओ० ई० एम० जाधव तुकाराम बसंतराव को जोजीला सैक्टर के 147वें किलोमीटर पर तैनात किया गया था । इस इलाके में तापमान-20° सेंटीग्रेड से - 40° सेंटीग्रेड रहता है जिससे खतरनाक मौसम में आधुनिक मशीनों का उपयोग बहुत जरूरी हो जाता है।

23 मार्च, 1985 को गुमरी और मैकाई ग्लेशियर के बीच बर्फ हटाते समय चालक (सैपर) बसंतराव तथा कैप्टन रस्तोगी, जो चालक की सीट की बगल में बैठे थे, एक भारी हिमखण्ड के नीचे पूरी तरह दब गए । विपरीत परिस्थितियों के होते हुए इन्होंने बहुत हिम्मत बांधकर खुद को और कैप्टन रस्तोगी को बर्फ के नीचे दबी मशीन से बाहर निकाला । यद्यपि इसमें ये बहुत परास्त हो चुके थे, फिर भी बिना अधिक समय खोए इन्होंने मूल्यवान मशीन को बर्फ से बाहर निकालना शुरू किया। इतना ही नहीं बल्कि उन कठिन परिस्थितियों में मशीन को बर्फ से बाहर निकालने के बाद, उन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए सड़क से बर्फ हटाना शुरू कर दिया।

29 मार्च 1985 को 119.200 किलोमीटर पर इसी तरह की कार्रवाई में सैपर बसंतराव ने बहुत कुशलता और सतर्कता से मशीन चलाकर 22 घंटे तक लगातार कार्य करते हुए 18 मीटर ऊंचे और 10 मीटर लम्बे एक विशाल हिमखण्ड को साफ कर दिया जबकि इतने बड़े काम में कम-से-कम 48 घंटे का समय आमतौर पर लग जाता है । फिर, 9 अप्रैल 1985 को 103.1 किलो मीटर पर बर्फ साफ करने के दौरान एक हिम-खण्ड इनसे तथा इनके सहकर्मियों से आ टकराया । दल और मशीन बर्फ के नीचे आंशिक रूप से दब गए । इससे विचलित हुए बिना सैपर बसंतराव ने बड़े साहस के साथ खुद को और अपने साथियों को मशीन के साथ बर्फ से बाहर निकाल लिया । अपने एक सहकर्मी पायनियर शाकलदेव को जो थकान और परास्त होने के कारण गिर पड़े थे कन्धे पर उठा लिया और रात 0200 बजे उन्हें लेकर कैम्प पहुंचे।

इस प्रकार सैपर (ओ० ई० एम०) जाधव तुकाराम बसंतराव ने असाधारण और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

9. श्री प्रताप चंद,
देहरादून (उत्तर प्रदेश)
(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 1985)

1 अप्रैल, 1985 को श्री प्रताप चंद, उच्च श्रेणी लिपिक, एक अधिकारी और खजांची के साथ 9 क्लास रोड, देहरादून स्थित मुख्य निवासी निरीक्षक, तकनीकी विकास तथा उत्पादन (वायु) निदेशालय, रक्षा मंत्रालय के कार्यालय में रुपयों की गिनती कर रहे थे कि तभी पिस्तौल से लैस दो लुटेरे कार्यालय में घुस आए और पिस्तौल की नोक पर इनसे रुपए लूटने की कोशिश की । श्री प्रताप चंद असाधारण साहस और कर्त्तव्यपरायणता दिखाते हुए पिस्तौल ताने लुटेरे पर पिल पड़े और पिस्तौल का रुख दूसरी तरफ कर दिया । दूसरे लुटेरे ने अपनी पिस्तौल की मूठ से श्री प्रताप चंद को घायल कर दिया । फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लुटेरे से जूझते रहे । लुटेरे ने बहुत नजदीक से उन पर गोली चलाने की कोशिश की परन्तु इन्होंने लुटेरे का हाथ पकड़ लिया और उसे गोली नहीं चलाने दी । इसी दौरान अन्य अधिकारी और कर्मचारी श्री प्रताप चंद की सहायता को वहां आ गए और उस लुटेरे को पकड़ लिया। दूसरे लुटेरे का अन्य कर्मचारियों ने दूर तक पीछा किया परन्तु वह भागने में सफल हो गया । श्री प्रताप चंद की इस बहादुरी से न केवल जनता का पैसा लुटने से बच गया बल्कि अपराधी के घर से काफी मात्रा में हथियार और गोली-बारूद बरामद किया गया और बाद में दूसरे लुटेरे को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

इस प्रकार श्री प्रताप चंद ने असाधारण साहस और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

10. 1043325 दफादार तस्वीर सिंह,
(परणोपरांत)।
कवचित कोर।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 11 जून, 1985)

दफादार तस्वीर सिंह 13 मई, 1981 को आर्मर्ड रेजीमेंट की स्थापना से ही इस रेजीमेंट में सेवारत थे । उनकी रेजीमेंट बबीना रेंज में गोली-बारी के प्रशिक्षण के लिए 11 जून, 1985 को एक विशेष सैनिक रेलगाड़ी से जा रही थी । रास्ते में शकूरबस्ती स्टेशन पर जब सैनिक दोपहर का भोजन कर रहे थे तो उन्होंने रेल गाड़ी पर लदे एक तीन टन वाहन पर ढके तिरपाल में से धुआं निकलते देखा । खतरे की घंटी सुनकर सभी लोग घटनास्थल की ओर दौड़े और देखा कि उच्च वोल्टता की बिजली की तारों से झटका खाकर जलते तिरपाल के ऊपर वाहन के चालक सवार बी० के० डे पड़े हैं।

दफादार तस्वीर सिंह जलते हुए तिरपाल के ऊपर चढ़ गए और अपनी जान की बिलकुल भी परवाह किए बिना सवार बी० के० डे के शव को खींचने की कोशिश करने लगे । परन्तु उच्च वोल्टता की तारों से करंट लगने पर वे भी नीचे लटक गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई।

अपने साथी को आसन्त खतरे से बचाने में यह जानते हुए भी कि इससे उनके जीवन को भी खतरा हो सकता है, दफादार तस्वीर सिंह ने सेना की उच्च परम्परा के अनुरूप अपने जीवन का बलिदान कर दिया।

11. विंग कमांडर कन्तीमंगलम वैद्यनाथन सेशाद्री (10030), लेखा

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 24 जून, 1985)

बम्बई में 24-25 जून, 1985 की रात लगातार बहुत तेज बारिश होती रही जो दूसरे दिन 12 बजे तक जारी रही । सुबह 8 बजे से 12 बजे के बीच 378 मिमी. की अभूतपूर्व, बारिश हुई जिससे रेल और बस सेवाओं में रुकावट आ गई। अधिकांश इलाकों में हल्के वाहनों का चलना दूभर हो गया । उस दिन वायु सेना स्टेशन, बम्बई के विंग कमांडर कन्तीमंगलम वैद्यनाथन सेशाद्री ही एक मात्र ऐसे अफसर थे जो वायुसेना स्टेशन में ड्यूटी पर पहुंचने में सफल हो सके।

सुबह 8 बजे के करीब विंग कमांडर सेशाद्री ने देखा कि स्टेशन मुख्यालय क्षेत्र के अंदर पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है । फौरन खतरा भांप गए और बहुत सूझबूझ का परिचय देते हुए एम० ई० एस० पावर स्टेशन से बिजली की सप्लाई बंद करने के लिए वहां मौजूद कार्मिकों को साथ लेकर पावर स्टेशन की ओर भागे । उस समय पावर स्टेशन में कमर तक पानी भर गया था जिससे बिजली का करंट लगने का पूरा खतरा था । इस खतरे की परवाह न करके और अपने प्राणों को जोखिम में डालकर, विंग कमांडर सेशाद्री ने पावर हाउस के अन्दर खुद जाकर बिजली के बटन बंद किए।

इस तरह बिजली का करंट लगने और तारों के जलने से आग लगने के भारी खतरे को टालने के बाद ये स्टेशन का जरूरी साज-सामान सुरक्षित करने में जुट गए। वहां मौजूद कार्मिकों को अति गुप्त और गोपनीय कागजात, लेखन सामग्री, राशन तथा वाहनों के कल पुर्जों आदि को ऊंचे सुरक्षित स्थानों पर रखने का आदेश दिया । इन्होंने एन० सी० ओ० मेस के लिए और अपने घरों में बाढ़ के पानी से घिरे परिवारों के लिए भोजन जुटाने की व्यवस्था भी की।

सात घंटे की इस अभूतपूर्व बारिश के दौरान विंग कमांडर सेशाद्री ने बाढ़ की स्थिति से निपटने में जिस साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया उससे बाढ़ के कारण होने वाली जान-माल की क्षति से बचा जा सका। इनकी समयोचित सूझ-बूझ के फलस्वरूप करीब 4 से 5 लाख रु० का कीमती उपस्कर, दस्तावेज, राशन, कार्यालय फर्नीचर तथा लेखन सामग्री आदि बचाई जा सकी।

12. जे० सी०-122376 नायब रिसालदार मेहर चन्द, आर्म्ड कोर (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 27 अगस्त, 1985)

नायब रिसालदार मेहर चन्द को एक आजीलियन लाइट आर्म्ड गाड़ी का कमांडर तैनात किया गया जो प्रयोकता के परीक्षणों के लिए पोखरण ले जाई जा रही थी। 27 अगस्त 1985 को रेल की पटरी पार करते समय उस गाड़ी को परीक्षण दल के एक अफसर कैप्टन ए० एस० कंडाडे चला रहे थे । गाड़ी का आधा भाग रेल की पटरी के पार हो गया लेकिन पिछला आधा भाग लाइनों के बीच फंस गया । पूरे प्रयत्नों के बावजूद गाड़ी को बाहर नहीं निकाला जा सका। इस बीच, नायब रिसालदार मेहर चन्द ने देखा कि सामने से एक रेलगाड़ी आ रही है । उन्होंने आजील के दल समेत गाड़ी पर सवार सभी सदस्यों को तुरन्त कूद जाने को कहा और उसके बाद कैप्टन ए० एस० कंडाडे को चालक की सीट से निकालने में मदद देने के लिए चले गए । अब तक वह स्वयं कूद पाते, उससे पहले ही रेलवे इंजन ने गाड़ी के पिछले भाग को टक्कर मार दी । इस टक्कर के लगने से वह दूर जा गिरे और उन्हें बहुत सी चोटें आई। इन चोटों के कारण, 29 अगस्त 1985 को वे मृत्यु को प्राप्त हुए ।

इस प्रकार नायब रिसालदार मेहर चन्द ने असाधारण साहस, पहलशक्ति और अपने निर्धारित कामकाज से बाहर जाकर सर्वोच्च कोटि की कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया और अपने जीवन का बलिदान देकर दूसरों का जीवन बचाया।

13. 4256305 लांस नायक पंच देव तिवारी, बिहार । (परणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 2 सितम्बर, 1985)

2 सितम्बर 1985 को रात के 2100 बजे, लांस नायक पंच देव तिवारी एक अगली चौकी पर जो कि, "नियंत्रण की रेखा" से 100 मीटर की दूरी पर थी, एक हल्की मशीनगन के बंकर पर तैनात थे कि शत्रु ने भारी मशीनगनों और मझली मशीनगनों से, अचानक और अकारण गोलाबारी शुरू कर दी। शत्रुओं की मशीनगनों से धुआंधार गोलाबारी के बीच उनकी चौकी लगातार दो दिन और दो रात लगभग घिरी रही। उन्होंने मोर्चे पर शत्रु के मझले मशीनगन के एक बंकर को शांत कर दिया।

शत्रु ने 4 सितम्बर 1985 को दोबारा पहले से भी अधिक धुआंधार गोलाबारी शुरू कर दी क्योंकि लांस नायक पंच देव तिवारी का बंकर ही विशेष लक्ष्य था, इसलिए उस पर तीन तरफ से जोरदार गोलीबारी की गई । प्रात: 0630 बजे जब वह अपनी हल्की मशीनगन से शत्रु पर गोलीबारी करने में लगे हुए थे, उनके मुंह और छाती पर शत्रु की गोली आ लगी । परिणामस्वरूप, वे गिर कर बेहोश हो गए और तत्काल मृत्यु को प्राप्त हुए।

लांस नायक पंच देव तिवारी ने असाधारण साहस का परिचय देते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

14. लेफ्टिनेंट कर्नल कांतमनेमी सुधाकर राव (आई० सी० 19038), एस० एम० इंजीनियर्स।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि: 28 सितम्बर, 1985)

लेफ्टिनेंट कर्नल कांतमनेमी सुधाकर राव, उस भारतीय सेना अभियान दल के स्थायी सदस्य चुने गए जो सैंतीस फुट

लम्बी फाइबर ग्लास नौका "तृष्णा में विश्व की यात्रा पर गया था । केवल पवन शक्ति के सहारे छोटी नौका में विश्व की परिक्रमा करने, और अनगनित भीषण तूफानों और झंझावातों में नौकायन करना साहस और लगन का एक अद्भुत कारनामा था ।

तृष्णा को ब्रिटेन से बम्बई के बंदरगाह की तरफ यात्रा करनी थी जहां से 28 सितम्बर, 1985 को उसका विश्व भ्रमण आरम्भ होना था । ब्रिटेन से बम्बई के रास्ते तृष्णा को बिस्के की खाड़ी में भीषण तूफानों का, भूमध्य सागर में खराब मौसम का और उसके बाद लाल सागर में एक बार फिर अंधेरे में निरन्तर झंझावातों का सामना करना पड़ा, जहां इसके मुख्य पाल उड़ जाने से आरोही दल के सामने बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ । आरोही दल ने प्रयत्न करके नये पाल लगाए और वह तृष्णा को सुरक्षित चला कर बम्बई तक ले आया ।

आशान्तरीप की परिक्रमा करके मारीशस से सेंट हैलेना द्वीप तक की उनकी यात्रा वीरता की एक यशोगाथा है, जब उन्हें अनगनित तूफानों का सामना करना पड़ा जिनमें हवा की गति पैंसठ नाट तक पहुंच गई और लहरें पैंतालीस फुट ऊंचाई तक पछाड़ें खाने लगी । इस छोटी सी नौका में टनों पानी भर गया जिसमें जीवन-रक्षी सामान और वायरलैस का सामान बह गया । इस पर भी वे फौलादी संकल्प से तृष्णा को निर्धारित मार्ग पर चलाते रहे ।

यात्रा का सबसे दुर्गम भाग तस्मान सागर पर आकलैंड से सिडनी तक का था जहां 100 वर्ष में सबसे भयंकर तूफान आया । इन खतरों से जूझते हुए आरोही दल पूरी तरह से चूर-चूर होकर सिडनी पहुंचा । सिडनी से ब्रिसबेन और उससे आगे कर्न्ज और थर्सडे द्वीप तक की यात्रा भी उतनी ही कठिन थी, जब उन्हें ग्रेट बैरियल रीफ (समुद्री चट्टान) के पास से गुजरना पड़ा ।

लेफ्टिनेंट कर्नल कांतमनेमी सुधाकर राव नौका के कैप्टन थे और उन पर यह भारी जिम्मेदारी थी कि वे आरोही दल को प्रशिक्षण दें, मार्ग की योजना बनाएं और सफलतापूर्वक यात्रा पूरी करें । यह सब उन्होंने अपूर्व सफलता और साहस से कर दिखाया । अपने व्यक्तिगत आचरण से उन्होंने अपने दल के साथियों को सभी कठिनाइयों का शान्त भाव और दृढ़ता से सामना करने की प्रेरणा दी ।

लेफ्टिनेंट कर्नल कांतमनेमी सुधाकर राव ने इस प्रकार भारतीय सेना की सर्वोच्च परम्पराओं के अनुरूप वीरता और कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया ।

15. कैप्टन संजीव शेखर (आई० सी० 40307), इंजीनियर्स ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 28 सितम्बर, 1985)

कैप्टन संजीव शेखर, उस भारतीय सेना अभियान दल के स्थायी सदस्य चुने गए जो सैंतीस फुट लम्बी फाइबर ग्लास नौका "तृष्णा" में विश्व की यात्रा पर गया था । केवल पवन शक्ति के सहारे छोटी नौका में विश्व की परिक्रमा करने, और अनगनित भीषण तूफानों और झंझावातों में नौकायन करना साहस और लग्न का एक अद्भुत कारनामा था ।

तृष्णा की ब्रिटेन से बम्बई के बंदरगाह की तरफ यात्रा करनी थी जहां से 28 सितम्बर, 1985 को उसका विश्व भ्रमण आरम्भ होना था । ब्रिटेन से बम्बई के रास्ते तृष्णा को बिस्के की खाड़ी में भीषण तूफानों का, भूमध्य सागर में खराब मौसम का और उसके बाद लाल सागर में एक बार फिर अंधेरे में निरन्तर झंझावातों का सामना करना पड़ा, जहां इसके मुख्य पाल उड़ जाने से आरोही दल के सामने बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ । आरोही दल ने प्रयत्न करके नये पाल लगाए और वह तृष्णा को सुरक्षित चला कर बम्बई तक ले आया ।

आशान्तरीप की परिक्रमा करके मारीशस से सेंट हैलेना द्वीप तक की उनकी यात्रा वीरता की एक यशोगाथा है, जब उन्हें अनगनित तूफानों का सामना करना पड़ा जिसमें हवा की गति पैंसठ नाट तक पहुंच गई और लहरें पैंतालीस फुट ऊंचाई तक पछाड़ें खाने लगी । इस छोटी सी नौका में टनों पानी भर गया जिसमें जीवन-रक्षी सामान और वायरलैस का सामान बह गया । इस पर भी वे फौलादी संकल्प से तृष्णा को निर्धारित मार्ग पर चलाते रहे ।

यात्रा का सबसे दुर्गम भाग तस्मान सागर पर आकलैंड से सिडनी तक का था जहां 100 वर्ष में सबसे भयंकर तूफान आया । इन खतरों से जूझते हुए आरोही दल पूरी तरह से चूर-चूर होकर सिडनी पहुंचा । सिडनी से ब्रिसबेन और उससे आगे कर्न्ज और थर्सडे द्वीप तक की यात्रा भी उतनी ही कठिन थी, जब उन्हें ग्रेट बैरियर रीफ (समुद्री चट्टान) के पास से गुजरना पड़ा ।

स्थाई कर्मी दल के सदस्य के रूप में कैप्टन संजीव शेखर समुद्री तूफानों के दौरान विपरीत परिस्थितियों में भी डेक पर रह कर जान को भारी खतरा होने के बावजूद अपने दल के अन्य साथियों के साथ भयंकर खतरों को बड़ी दृढ़ता, साहस और कर्त्तव्य–परायणता के साथ झेलते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे । नौका में भोजन, औषधियों आदि की समुचित व्यवस्था का चुनौतीपूर्ण काम इन्हें सौंपा गया था जिसे इन्होंने पूरे उत्साह और निष्ठा के साथ पूरा कर दिखाया ।

कैप्टन संजीव शेखर ने इस प्रकार भारतीय सेना की सर्वोच्च परम्पराओं के अनुरूप वीरता और कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया ।

16. कैप्टन चन्द्रहास भारती (आई सी–40346) इंजीनियर्स ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 28 सितम्बर, 1985)

कैप्टन चन्द्रहास भारती, उस भारतीय सेना अभियान दल के स्थायी सदस्य चुने गए जो सैंतीस फुट फाइबर ग्लास

नौका "तृष्णा" में विश्व की यात्रा पर गया था। केवल पवन शक्ति के सहारे छोटी नौका में विश्व की परिक्रमा करने, और अनगनित भीषण तूफानों और झंझावातों में नौकायन करना साहस और लग्न का एक अद्भुत कारनामा था।

तृष्णा को ब्रिटेन से बम्बई के बन्दरगाह की तरफ यात्रा करनी थी जहां से 28 सितम्बर 1895 को उसका विश्व भ्रमण आरम्भ होना था। ब्रिटेन से बम्बई के रास्ते तृष्णा को बिस्के की खाड़ी में भीषण तूफानों का, भूमध्य सागर में खराब मौसम का और उसके बाद लाल सागर में एक बार फिर अंधेरे में निरन्तर झंझावातों का सामना करना पड़ा, जहां इसके मुख्य पाल उड़ जाने से आरोही दल के सामने बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। आरोही दल ने प्रयत्न करके नए पाल लगाए और वह तृष्णा को सुरक्षित चला कर बम्बई तक ले आया।

आशान्तरीप की परिक्रमा करके मारीशस से सेंट हैलेना द्वीप तक की उनकी यात्रा वीरता की एक यशोगाथा है, जब उन्हें अनगनित तूफानों का सामना करना पड़ा जिनमें हवा की गति पैंसठ नाट तक पहुंच गई और लहरें पैंतालीस फुट ऊंचाई तक पछाड़ें खाने लगीं। इस छोटी सी नौका में टनों पानी भर गया जिसमें जीवन–रक्षी सामान और वायरलैस का सामान बह गया। इस पर भी वे फौलादी संकल्प से तृष्णा को निर्धारित मार्ग पर चलाते रहे।

यात्रा का सबसे दुर्गम भाग तस्मान सागर पर आकलैंड से सिडनी तक का था जहां 100 वर्ष में सबसे भयंकर तूफान आया। इन खतरों से जूझते हुए आरोही दल पूरी तरह से चूर-चूर होकर सिडनी पहुंचा। सिडनी से ब्रिसबेन और उससे आगे कर्न्ज और थर्सडे द्वीप तक की यात्रा भी उतनी ही कठिन थी, जब उन्हें ग्रेट बैरियर रीफ (समुद्री चट्टान) के पास से गुजरना पड़ा।

स्थाई कर्मी दल के सदस्य के रूप में कैप्टन चन्द्रहास भारती ने समुद्री तूफानों के दौरान डेक पर रहकर अपनी जीवन की सुरक्षा की परवाह किए बिना भयंकर खतरों के बीच बड़ी दृढ़ता और साहस के साथ निगरानी करने की अपनी जिम्मेदारी निभाई। इन्हें संचार व्यवस्था और नौका के साज-सामान की व्यवस्था सौंपी गई थी जो एक चुनौती-पूर्ण कार्य था और इन्होंने पूरी निष्ठा के साथ उसे पूरा कर दिखाया।

कैप्टन चन्द्रहास भारती ने इस प्रकार भारतीय सेना की सर्वोच्च परम्पराओं के अनुरूप वीरता और कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

17. कैप्टन संथानम् काशीनाथन (एस एस 31364)
से० मे० (मरणोपरांत)
3 गोरखा राइफल्स।
(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 18 दिसम्बर 1985)

कैप्टन संथानम् काशीनाथन को 12 मार्च 1983 को कमीशन प्राप्त हुआ। काउंटर इंसरजेंसी जंगल वारफेयर स्कूल में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद जून 1983 से ये विद्रोहियों के क्षेत्र में कार्रवाई कर रहे थे। इन्होंने "आपरेशन हिफ़ाजत" के क्षेत्र में विद्रोह–विरोधी कार्रवाई का संचालन करने में असाधारण योग्यता दिखाई।

18 दिसम्बर 1985 को अवांगखुल गांव के एक विद्रोही की खोज के दौरान कैप्टन संथानम् काशीनाथन के पांव में गोली लगी। घायल होने के बावजूद विद्रोही को जिन्दा पकड़ने के उत्साह में ये आगे बढ़े और हाथापाई के दौरान इनको सिर में गोली लगी जिससे इनकी मृत्यु हो गई। आखिरी दम तक ये विद्रोही का मुकाबला करते रहे जिससे वह मजबूर होकर राइफल छोड़कर भाग गया।

इस प्रकार कैप्टन संथानम् काशीनाथन ने उत्कृष्ट साहस और कर्त्तव्य-निर्वाह करते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

18. फ्लाइट लेफ्टिनेंट नसीम अख्तर (14279)
फ्लाइंग (पायलट)।
(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 27 जनवरी 1986)

फ्लाइट लेफ्टिनेंट नसीम अख्तर को 27 जनवरी 1986 को एक उड़ान प्रशिक्षण बेस पर एक विदेशी प्रशिक्षार्थी के साथ प्रशिक्षण उड़ान पर भेजा गया। उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद, जमीन से 1300 फुट की ऊंचाई पर, सरकिट छोड़ने के दौरान उन्होंने इंजन में बहुत तेज कम्पन महसूस किए। उन्होंने इंजन को नियंत्रित करने की कोशिश की लेकिन इंजन बंद हो गया। उन्होंने "हाट री–लाइट" प्रक्रिया द्वारा इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। उन्होंने कम ऊंचाई का ध्यान रखते हुए, प्रशिक्षार्थी को फौरन हवाई जहाज से बाहर कूदने के लिए कहा। प्रशिक्षार्थी हिचकिचाया और उसने कहे अनुसार नहीं किया। ऐसी स्थिति में फ्लाइट लेफ्टिनेंट नसीम अख्तर को स्वयं हवाई जहाज से कूदने का पूरा अधिकार था, क्योंकि कम ऊंचाई के कारण जरा भी देरी करने से उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता था। अपनी जान को पूरा खतरा होने के बावजूद उन्होंने अपने प्रशिक्षार्थी को भाग्य के हाथों छोड़ना उचित नहीं समझा। उन्होंने तेजी से "री–लाइट" ड्रिल की और हवाई जहाज के जमीन छूने से कुछ सैकंड पहले इंजन फिर चालू हो गया। उन्होंने पूरी पावर खोल दी और बेस की तरफ उड़ान भरी। लेकिन फौरन बाद ही इंजन दुबारा बंद हो गया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अख्तर ने खुद कैनोपी को खोल दिया और प्रशिक्षार्थी को कूदने के लिए कहा। साथ ही प्रशिक्षार्थी पर पूरा भरोसा न होने के कारण, उन्होंने इंजन को दुबारा चालू करने की कोशिश की। लेकिन इस बार प्रशिक्षार्थी कूद गया। जब वह कूद रहा था, तभी इंजन फिर से चालू हो गया, हालांकि ऊंचाई बहुत कम थी। उन्होंने धीरज से स्थिति का जायजा लिया। खुली कैनोपी और खराब इंजन से काकपिट में बेहद शोर होने के बावजूद, उन्होंने फौरन हवाई जहाज को सुरक्षित उतार लिया।

फ्लाइट लेफ्टिनेंट नसीम अख्तर ने अपनी जान को गंभीर खतरे के बावजूद अचानक संकट का धीरज से मुकाबला किया और श्रेष्ठ मानवीय आचरण का परिचय दिया। उन्होंने अपने प्रशिक्षार्थी की अमूल्य जान ही नहीं बचाई बल्कि हवाई जहाज को भी सुरक्षित उतार लिया।

19. 14371598 गनर गुडेवडा वेंकट के चन्ना केशवर आर्टिलरी। (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि: 10 फरवरी, 1986)

10 फरवरी 1986 को जब गनर गुडेवडा वेंकट के चन्ना केशवर सिकंदराबाद में अपने मित्र गनर राम मोहन राव के घर से वापस आ रहे थे उन्होंने अपने मित्र की पत्नी की सहायता के लिए चीख-पुकार सुनी। वह लपक कर रसोईघर में पहुंचे और देखा कि वह औरत आग की लपटों में घिरी हुई थी तथा अपने बच्चे तथा स्वयं को बचाने के लिए भरपूर संघर्ष कर रही थी। गनर राव की लड़की ने रसोईघर में मिट्टी के तेल का बर्तन अचानक गिर गया था जिससे भयंकर आग लग गई थी। उन्होंने आग की लपटों में घुसकर बच्चे को बचाया। यद्यपि उनके अपने कपड़ों में आग लग चुकी थी फिर भी अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना वे औरत को बचाने के लिए पुनः तुरन्त रसोईघर में गए जो घुटन और सदमे के कारण बेहोश हो गई थी। उस औरत को बचाते-बचाते उनके शरीर पर गंभीर छाले पड़ गए। बच्चे और औरत को बचाने के फलस्वरूप छालों के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

इस प्रकार, गनर गुडेवडा वेंकट के चन्ना केशवर ने सर्वोच्च बलिदान देकर असाधारण साहस और सर्वश्रेष्ठ मैत्री-भावना का परिचय दिया।

20. जी/131735 ए० ओ ई एम माम चन्द सिंह (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि: 12 फरवरी, 1986)

12 फरवरी 1986 को 153 फार्मेशन कंटिंग प्लाटून के ओ ई एम माम चन्द सिंह, अरुणाचल प्रदेश के दिबसंग घाटी जिले की हुनली-अनिनी सड़क पर अपने डोजर के साथ काम कर रहे थे। जिस स्थान पर ओ ई एम माम चन्द सिंह काम कर रहे थे, वह तेज बहती नदी के लगभग 200 मीटर ऊपर था। ऊपर की खड़ी ढलान की मिट्टी में पत्थर और चट्टानें भरी हुई थीं। बारंबार होने वाली वर्षा और पहाड़ी का किनारा धसकने के कारण, किनारा काटना एक बड़ी समस्या थी। निर्धारित समय में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, ओ ई एम माम चन्द सिंह को इस भाग में तैनात किया गया था।

12 फरवरी 1986 को 1400 बजे तक ओ ई एम सिंह ने अपनी लगन और परिश्रम से, इस दुर्गम भाग को साफ करने में काफी प्रगति कर ली थी और इस स्थान के शीघ्र साफ होने की आशा हो गई थी। जब वह अपने डोजर को वापिस घुमा रहे थे, अचानक घाटी के तरफ की सड़क डोजर के ट्रैक के नीचे धंसने लगी तथा डोजर नीचे सरकने लगा। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना, ओ ई एम माम चन्द सिंह डोजर पर ही बने रहे और उसे ऐसी स्थिति में लाने की कोशिश करने लगे जहां वह टिक जाए। उनके भरसक प्रयास के बावजूद, डोजर लगभग 75 मीटर नीचे तक खिसकता चला गया। इस अवस्था में वे डोजर को छोड़कर कूद सकते थे और अपनी जान बचा सकते थे लेकिन डोजर को बचाने का दृढ़ निश्चय करके, वे उसे लगातार चलाते रहे। परन्तु डोजर उलट गया जिसके नीचे उनकी टांगें बुरी तरह से कुचल गई। उन्हें बहुत गहरी चोटें आई तथा उन्हें वहां से निकालने के तुरन्त बाद उन चोटों से उनकी मृत्यु हो गई।

इस प्रकार, ओ ई एम माम चन्द सिंह ने वीरता और निःस्वार्थ उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

21. लेफ्टिनेंट कर्नल विजय कुमार सीताराम (आई सी-17245),
आर्टिलरी।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 8 मार्च, 1986)

8 मार्च, 1986 को लेफ्टिनेंट कर्नल विजय कुमार सीता राम, जो कि उत्तरी सेक्टर के एक अग्रिम क्षेत्र में कार्यरत एक एयर आब्जर्वेशन पोस्ट स्क्वाड्रन के फ्लाइट कमांडर थे, एक सर्वेक्षण उड़ान पर थे। विमान पर जनरल अफसर कमांडिंग तथा ब्रिगेड कमांडर भी मौजूद थे। उस समय शत्रु ने उनके विमान पर भूमि से वायु में मार करने वाली मिसाइलों से हमला कर दिया। अत्यन्त फुर्ती एवम श्रेष्ठ हवाई कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपने विमान को मिसाइल के मार्ग से दूर हटा दिया तथा इस प्रकार कुछ इंच के फासले से उनका विमान मिसाइल की मार से बच निकला। वे जरा भी नहीं घबराए और मिसाइलों से लगातार बचते-बचाते हुए, विमान को सुरक्षित उड़ा कर ले आए।

उस मिसाइल सिस्टम के ठिकाने का पता लगाने के लिए एक अन्य टोही उड़ान भरी गई जिसमें ब्रिगेड कमांडर भी साथ थे। इस दूसरी उड़ान के दौरान भी उनके विमान पर जमीन से फायरिंग की गई। उनके साहस और फुर्ती तथा श्रेष्ठ हवाई-कौशल से टोही मिशन के दौरान शत्रु के ठिकानों का सफलतापूर्वक पता चल गया। शत्रु के ठिकाने का पता लगाने के बाद उन्होंने शत्रु की गोलाबारी के बीच दुबारा उड़ान भरी तथा अपनी हवाई तोप की अचूक मार से शत्रु के ठिकाने को नष्ट कर दिया।

इस प्रकार लेफ्टिनेंट कर्नल विजय कुमार सीताराम ने अदम्य साहस, उच्चकोटि की व्यावसायिक कुशलता और कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

22. लेफ्टिनेंट किशन सिंह चूंडावत (01997-एन)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि: 23 मार्च, 1986)

23 मार्च, 1986 को भारतीय नौसेना पोत तुमला के लेफ्टिनेंट किशन सिंह चूंडावत तथा भारतीय नौसेना पोत "कुंजाली" के लेफ्टिनेंट मनजीत सिंह चिल्लर अक्सर बीच, मार्वे मलाड के पास नौका-अभ्यास कर रहे थे। दोपहर लगभग 1.20 बजे इन अधिकारियों ने "बचाओ-बचाओ" की तेज पुकारें सुनीं और देखा कि पिकनिक मनाने वालों का एक

दल डूबने ही वाला है। लेफ्टिनेंट चूंडावत, लेफ्टिनेंट मनजीत सिंह चिल्लर के साथ घटना-स्थल की ओर दौड़े तथा उन्होंने देखा कि पिकनिक मनाने वाले व्यक्ति मछली पकड़ने के जालों में बुरी तरह से फंसे हुए है।

अदम्य साहस के साथ लेफ्टिनेंट चूंडावत ने मछली के जालों में फंसे लोगों को निकालना शुरू किया। उन्होंने इस काम में मछली के जालों में स्वयं के फंसने के जोखिम की जरा भी परवाह नहीं की तथा पीड़ितों को समुद्र की तेज धाराओं तथा भाटे की दुर्गम धाराओं से बचाते हुए किनारे पर ले आए। 17 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के इन पीड़ितों में चार लड़कियां और दो लड़के थे, जिनकी हालत बहुत गंभीर थी। लेफ्टिनेंट चूंडावत ने तुरन्त उनके गले में फंसे कचरे को साफ किया, उनकी सांस नली को खोला तथा मुंह पर मुंह रखकर उनकी सांस चालू करने की कोशिश की।

एक अफसर के लिए, मुंह के जरिए तीन व्यक्तियों का एक साथ सांस चालू करना अत्यन्त ही कठिन काम था। किन्तु वे तीनों ही जिन्दा बचा लिए गए। इसी समय, जो भीड़ घटना-स्थल पर इकट्ठी हो गई थी, उसमें से एक व्यक्ति ने इस अफसर को बताया कि उनके साथ के दो अन्य व्यक्ति अभी भी लापता है। तत्काल लेफ्टिनेंट चूंडावत, लेफ्टिनेंट चिल्लर के साथ भाग कर घटना-स्थल पर पहुंचे, हालांकि तब तक वे बेहद थक चुके थे। इन अफसरों ने मछली पकड़ने के तमाम जालों को लंगरों सहित साफ कर डाला तथा सभी जालो को सफलता-पूर्वक किनारे ले आए। तथापि, दुर्भाग्यवश लापता व्यक्तियों का पता नहीं चला। लगभग 1415 बजे समुद्र में दो लाशें तैरती हुई दिखाई दीं जिन्हें ये अफसर जाकर किनारे पर ले आए। इन दोनों व्यक्तियों को भी सांस प्रदान की गई परन्तु प्रयास बेकार गए क्योंकि वे पहले ही मर चुके थे।

इस प्रकार लेफ्टिनेंट किशन सिंह चूंडावत ने अपनी सुरक्षा की जरा भी परवाह किए बिना उत्कृष्ट साहस तथा मानवता के प्रति उच्चकोटि की कर्त्तव्य भावना का परिचय दिया।

23. लेफ्टिनेंट मनजीत सिंह चिल्लर (02191 बी),
(पुरस्कार की प्रभावी तिथि: 23 मार्च, 1986)

23 मार्च, 1986 को लेफ्टिनेंट मनजीत सिंह चिल्लर, भारतीय नौसेना पोत कुंजलि और लेफ्टिनेंट किशन सिंह चूंडावत, अक्सा बीच, मार्वे मलाड के पास नौका अभ्यास कर रहे थे। दोपहर में लगभग 1.20 बजे, इन अफसरों ने "बचाओ-बचाओ" की बड़ी तेज पुकारें सुनीं और देखा कि पिकनिक मनाने वालों के एक दल को डूबने का गंभीर खतरा है। लेफ्टिनेंट चिल्लर, लेफ्टिनेंट चूंडावत के साथ लपक कर घटना-स्थल पर पहुंचे और देखा कि पिकनिक मनाने वाले मछली पकड़ने के जाल में बुरी तरह से फंस गए हैं।

इस अफसरों ने अपनी जिन्दगी को खतरे में डालकर, अदम्य साहस से लोगों को मछलियों के जाल से निकालना शुरू किया। जाल में खुद फंसने के खतरे की परवाह किए बिना, वे जल्दी ही संकटग्रस्त लोगों को बचाकर किनारे पर ले आए। इन छः लोगों में 4 लड़कियां और दो लड़के थे और इनकी हालत बहुत गंभीर थी। लेफ्टिनेंट चिल्लर ने लेफ्टिनेंट चूंडावत के साथ मिलकर जल्दी से उनकी श्वास-नलियों को साफ किया और उन के मुंह पर मुंह रखकर उनकी सांस चालू करने लगे।

कहने की जरूरत नहीं है कि एक अफसर के लिए एक साथ तीन व्यक्तियों का मुंह के जरिए सांस चालू करना बहुत ही मुश्किल काम था। फिर भी, उन्होंने उन तीनों व्यक्तियों को बचा लिया। इसी समय, पीड़ितों के एक संबंधी ने आकर बताया कि उस दल के दो व्यक्ति अभी भी लापता हैं। उसी समय यह अफसर लेफ्टिनेंट चूंडावत के साथ लपक कर घटना-स्थल पर वापिस पहुंचा और दोनों लापता व्यक्तियों को खोजने लगे। इन अफसरों ने पूरे जाल को लंगरों सहित साफ किया और इसे तट पर ले आए। दुर्भाग्य से वे व्यक्ति नहीं मिले। लगभग 2.15 बजे दो लाशें समुद्र में तैरती दिखाई दीं और ये अफसर उन्हें निकाल लाए। यद्यपि मुंह से उनकी भी सांस चालू करने की कोशिश की गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वे पहले ही मर चुके थे।

इस प्रकार लेफ्टिनेंट मनजीत सिंह चिल्लर ने अपनी सुरक्षा की जरा भी परवाह किए बिना उत्कृष्ट साहस तथा मानवता के प्रति उच्चकोटि की कर्त्तव्य भावना का परिचय दिया।

24. लेफ्टिनेंट फर्नांडिस फ्रांसिस (एम एस–31540),
आर्म्ड कोर। (मरणोपरांत)
(पुरस्कार की प्रभावी तिथि: 7 मई, 1986)

7 मई, 1986 को लेफ्टिनेंट फर्नांडिस फ्रांसिस को तारा बांध, पश्चिम बंगाल में इन्फैन्ट्री डिवीजन अभ्यास "जय बसंत" के संचालन के दौरान, फ्लोटेशन प्रशिक्षण के निमित्त एक टैंक का कमांडर नियुक्त किया गया। वाटर मैनशिप प्रशिक्षण के लिए टैंक में चार कर्मियों के अतिरिक्त, एक अफसर और दस जवान तैनात थे।

पानी में तैरने के बाद जब टैंक तट से लगभग 75 मीटर दूर पहुंचा तो वह अचानक एक ओर झुककर रुक गया। जब ड्राइवर टैंक को नहीं निकाल पाया तब लेफ्टिनेंट फर्नांडिस फ्रांसिस जल्दी से ड्राइवर की सीट पर जा बैठे और फंसे हुए टैंक को बाहर निकाला। परन्तु कुछ सैकंड बाद यह देखा गया कि टैंक पीछे की ओर से पानी में डूब रहा है। वे जल्दी से ड्राइवर के कुपोला से बाहर निकले और सभी कार्मिकों को आदेश दिया कि वे टैंक के अगले भाग पर आकर टैंक को स्थिर करें, परन्तु सफलता नहीं मिली। यह देखकर कि टैंक के डूबने से बचने की संभावना नहीं है, उन्होंने कर्मियों सहित सभी कार्मिकों को आदेश दिया कि वे जूते उतारकर पानी में कूद जाएं। वे स्वयं एक बार फिर आखिरी कोशिश करने के लिए ड्राइवर की सीट पर बैठे। दुर्भाग्यवश इस बहादुर अफसर का प्रयास असफल रहा और और कुछ ही पलों में टैंक उन्हें साथ लेकर डूब गया।

इस तरह लेफ्टिनेंट फर्नांडिस फ्रांसिस ने उत्कृष्ट साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्य–परायणता का परिचय देते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया ।

25. कैप्टन वीरेन्द्र सिंह गरेवाल, (आई सी–37389), डोगरा ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 9 मई, 1986)

9 मई 1986 को सूचना मिली कि नागालैंड के नेगी निमोरा क्षेत्र में हिंसा की कार्रवाई करने के इरादे से पांच विद्रोही छिपे हुए हैं । इसके साथ ही दूसरी विश्वसनीय सूचना से यह पुष्टि हुई कि नेगी निमोरा में श्री टौंगपेंथ कोन्याक के मकान में एक महिला विद्रोही मौजूद है । कैप्टन वीरेन्द्र सिंह गरेवाल के नेतृत्व में, सूबेदार मेजर हरक सिंह बिष्ट के समेत एक गश्ती दल को विद्रोही को पकड़ने का काम सौंपा गया । गश्ती दल ने उस मकान को घेर लिया और स्वयंभू लेफ्टिनेंट एनग्नेयी कोन्याक की पत्नी स्वयं लां/कारपोरल (श्रीमती), एन जी जी इपेन कोन्याक को गिरफ्तार कर लिया । जब गश्ती दल विद्रोही को गिरफ्तार करके वापस लौट रहा था, तब उसने रास्ते में एक मकान में संदेहास्पद प्रकाश देखा । उन्होंने मकान की तलाशी लेने का निर्णय किया । तलाशी के दौरान एक अनजान आदमी कमरे की खिड़की से कूदा और उसने अंधेरे में बच निकलने की कोशिश की । कैप्टन गरेवाल ने तुरन्त उसका पीछा किया, पर उसने पिस्तौल निकाल ली । उसके फायर करने से पहले ही कैप्टन गरेवाल ने अदम्य साहस से काम लेकर उसकी पिस्तौल को नीचे गिरा दिया और उसे जिंदा पकड़ने के लिए उस पर टूट पड़े । तब तक गश्ती दल भी वहां पहुंच गया । बाद में पता चला कि गिरफ्तार विद्रोही स्वयंभू सार्जेन्ट मेजर इमती ए० ओ० था । एक दूसरे विद्रोही को सूबेदार मेजर हरक सिंह बिष्ट ने हाथा-पाई के बाद धर दबोचा । मकान की तलाशी लेने पर चार विद्रोही, गोला–बारूद और शस्त्र बरामद हुए ।

इस प्रकार कैप्टन वीरेंद्र सिंह गरेवाल ने, सेना की सर्वोच्च परम्पराओं के अनुरूप वीरता, प्रेरणादायक नेतृत्व और उच्च-कोटि की कर्त्तव्य निष्ठा का परिचय दिया ।

26. सैकण्ड लेफ्टिनेंट राजीव पुरी (आई सी–42874), 6/8 गोरखा राइफल्स ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 10 मई, 1986)

मार्च 1986 के महीने में, खराब मौसम और कम दिखाई देने का लाभ उठाकर शत्रु ने सियाचेन ग्लेशियर क्षेत्र में 10000 फुट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर कब्जा कर लिया । यह पहाड़ी "बिला फाउन्डला" के क्षेत्र में हमारी चौकियों के सामने ऊपर को पड़ती थी ।

10 मई, 1986 की रात को, सैकण्ड लेफ्टिनेंट राजीव पुरी को, इस चौकी से शत्रु को हटाने का अत्यन्त कठिन कार्य सौंपा गया । इस काम में सामने आने वाले खतरों से भली-भांति परिचित होते हुए भी, उन्होंने इस अत्यन्त कठिन कार्य के लिए अपनी सेवाएं अर्पित की । शत्रु की नजर के नीचे, और उसकी गोलीबारी के बीच, उन्होंने केवल एक रस्सी के सहारे अपनी टीम के साथ बर्फ की दीवार पर धैर्य के साथ रेंगना शुरू किया । उनके साहसी नेतृत्व में उनके सैनिक शत्रु की चौकी के पीछे चोटी पर पहुंच गए । शत्रु भौंचक्का रह गया क्योंकि उसे इतनी खतरनाक सीधी चढ़ाई की ओर से हमले की आशंका नहीं थी ।

उनके दल के ग्यारह बहादुर सैनिकों ने शत्रु के ठिकाने पर साहसिक हमला किया और हथगोले फेंक कर और अपनी खतरनाक स्थिति से बढ़ने के दौरान गोलीबारी करके शत्रु की चौकी पर कब्जा कर लिया । शत्रु अपनी दो मंझोली मशीन गनें, एक सब-मशीन गन, एक आटोमैटिक राइफल, एक रॉकेट लांचर और गोला-बारूद के ढेर छोड़कर भाग गया ।

शत्रु ने अपनी पूरी ताकत से "हलाल टाप" पर भारी मशीन गनों से सही निशाना लेकर गोलाबारी की और तोपों से 200 से अधिक गोले बरसाए । इसके बावजूद, उन्होंने अपने सैनिकों के साथ बहादुरी से इसका सामना किया और चौकी पर चट्टान की तरह टिके रहे ।

इस प्रकार, सैकण्ड लेफ्टिनेंट राजीव पुरी ने अत्यन्त प्रतिकूल और कठिन स्थितियों में अडिग धैर्य, असाधारण साहस, पूर्ण कर्त्तव्यनिष्ठा और प्रेरक नेतृत्व का परिचय दिया ।

27. 4449703 लांस हवलदार माखन सिंह, सिख लाइट इंफैन्ट्री ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 10 मई, 1986)

सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में शत्रु बिला फाउन्डला पर कब्जा करने या उस पर नियंत्रण पाने के लिए कई बार प्रयास कर चुका है । खराब मौसम का लाभ उठाकर शत्रु ने 19000 फुट की ऊंचाई पर एक ऐसी जगह पर कब्जा कर लिया जिससे बिला फोंडला की सुरक्षा करना कठिन कार्य हो गया ।

10 मई, 1986 की रात लांस हवलदार माखन सिंह को, जो उसी इलाके में तैनात थे, शत्रु को इस चौकी से हटाने के लिए गठित विशेष कृतिक बल (टास्क फोर्स) में शामिल किया गया । शत्रु की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए रात भर जागे रहने के कारण बहुत थके होने के बावजूद ये प्रहार दल का नेतृत्व करने के लिए आगे आए । इस टुकड़ी का आगे बढ़ने का मतलब था शत्रु की नाक के नीचे उसकी गोलीबारी झेलते हुए आगे बढ़ना । पर्वतारोहण का कोई ज्ञान न होने पर भी ये रेंगते हुए बर्फ की दीवार पारकर दुश्मन की चौकी के पीछे की ओर पहुंचने में सफल हो गए । अपने दल के साथ इन्होंने शत्रु पर अचानक हमला कर उसकी मीडियम मशीन गन को नाकाम कर दिया और भारी गोली–बारी करके शत्रु की चौकी पर कब्जा कर लिया । शत्रु के सैनिक चौकी छोड़कर भाग गए और अपने पीछे दो मंझोली मशीन गनें, एक सब मशीन गन, एक स्वचालित राइफल, एक राकेट लांचर और गोली–बारूद से भरे डिब्बे छोड़ गए ।

बदला लेने की भावना से शत्रु ने पूरे जोरों से इस चौकी पर आक्रमण कर दिया जिसमें भारी मशीन गनों से अचूक गोली-बारी की और एक ही दिन में दलाल चोटी पर 200 से अधिक तोप गोले बरसाए। शत्रु के भारी हमले से अविचलित रहते हुए इन्होंने अपने जवानों के साथ चट्टान की तरह डटकर चौकी पर अपना कब्जा बनाए रखा।

इस प्रकार लांस हवलदार माखन सिंह ने अनुकरणीय साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

28. श्री नरेश कुमार गुप्ता, (मरणोपरांत)
बांदा, उत्तर प्रदेश।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 12 मई, 1986)

12 मई, 1986 को प्रातः 8 बजे कुछ बदमाश एक 16-17 साल की लड़की के साथ छेड़-छाड़ कर रहे थे और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। यह लड़की अपने घर जा रही थी और श्री नरेश कुमार गुप्ता के घर के पास से गुजर रही थी। सहायता के लिए लड़की की चीख-पुकार सुनकर श्री नरेश कुमार गुप्ता अपने घर से निकले और उन बदमाशों को रोका। इस पर बदमाश उनसे भिड़ गए। निहत्थे होने पर भी उन्होंने उनका बहादुरी से मुकाबला किया। बदमाशों ने चाकुओं से श्री गुप्ता पर वार करके उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। उन्हें तुरन्त अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई।

इस प्रकार श्री नरेश कुमार गुप्ता ने एक अल्पवयस्क लड़की के सम्मान की वीरतापूर्वक रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया।

29. श्री श्रीधर गणपत काबे,
पुणे, महाराष्ट्र।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 13 जून, 1986)

13 जून, 1986 को दोपहर लगभग 1 बजे पिस्तौलों से लैस तीन लुटेरे बैंक लूटने की नीयत से भारतीय यूनियन बैंक की गणेशखिंड शाखा में घुसे। बैंक के खजांची श्री श्रीधर गणपत काबे रोकड़ कक्ष में थे। उनमें से एक लुटेरे ने इनकी ओर पिस्तौल तान दी और तिजोरी की चाबियां उसके हवाले करने को कहा। उसने तिजोरी की जगह बताने को भी कहा। श्री काबे बहुत सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए लुटेरे को धोखे में डालकर बैंक के पिछले दरवाजे तक ले गए और उसे बाहर धकेलकर खतरे की घंटी बजा दी। लुटेरे ने बाजू में गोली मार कर इन्हें घायल कर दिया। इसके बाद वे बिना रुपया लूटे भाग खड़े हुए। घायल होने के बावजूद श्री काबे ने लुटेरों का पीछा किया परन्तु खून ज्यादा बह जाने के कारण अधिक देर तक उसका पीछा नहीं कर सके। इनकी हिम्मत और साहस से प्रेरणा पाकर बैंक के अन्य कर्मचारियों ने भी निहत्थे होने के बावजूद लुटेरों का मुकाबला करने और उन्हें पकड़ननें की कोशिश की।

इस प्रकार श्री श्रीधर गणपत काबे ने अनुकरणीय साहस और उच्चकोटि की सूझबूझ का परिचय दिया और बैंक लूटे जाने के प्रयास को विफल कर दिया।

30. श्री पांडुरंग तुकाराम भारगुडे, (मरणोपरांत)
पुणे, महाराष्ट्र।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 13 जून, 1986)

13 जून, 1986 को दोपहर लगभग 1 बजे पिस्तौलों से लैस तीन लुटेरे बैंक लूटने की नीयत से भारतीय यूनियन बैंक की गणेशखिंड शाखा में घुसे। बैंक के चपरासी श्री पांडुरंग तुकाराम भारगुडे डाकखाने से लौट ही थे कि उन्होंने बैंक में कुछ शोरगुल सुना। वे चाहते तो भाग सकते थे, परन्तु उन्होंने अगले दरवाजे से अन्दर जाकर अपने साथियों की सहायता करने का निश्चय किया। अंधाधुंध गोली चला रहे लुटेरों की एक गोली उन्हें आकर लगी। उन्हें तुरन्त अस्पताल ले जाया गया परन्तु जख्मों के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

इस प्रकार श्री पांडुरंग तुकाराम भारगुडे ने अपनी जान की परवाह न करते हुए असाधारण साहस, आत्म बलिदान और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय देते हुए बैंक लूटने के प्रयास को विफल कर दिया।

31. श्री प्रकाश तैयब शिंदे,
पुणे, महाराष्ट्र।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि: 13 जून, 1986)

13 जून, 1986 को दिन में लगभग 1 बजे पिस्तौलों से लैस तीन लुटेरे बैंक लूटने के इरादे से यूनियन बैंक आफ इंडिया की गणेशखिंड शाखा में घुसे। बैंक के क्लर्क श्री प्रकाश तैयब शिंदे ने कोषाध्यक्ष श्री श्रीधर गणपत काबे को सहायता के लिए चिल्लाते हुए सुना और देखा कि लुटेरे उन पर गोली मारकर स्कूटर में भाग रहे हैं। श्री शिंदे तुरन्त बाहर निकले और निहत्था होने के बावजूद इन्होंने अपने मोपेड से लुटेरों के भागते हुए स्कूटर पर टक्कर मारकर उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन लुटेरों ने इन पर गोली मार दी जो इनके हाथ में लगी और ये अपनी मोपेड समेत नीचे गिर गए।

इस प्रकार श्री प्रकाश तैयब शिंदे ने हथियारों से लैस लुटेरों का मुकाबला करते हुए जबरदस्त साहस और कर्त्तव्य भावना का परिचय दिया और लुटेरों की बैंक लुटने की कोशिश नाकाम कर दी।

32. श्री निर्मल सिंह,
जिला जालंधर, पंजाब।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 19 जून, 1986)

19 जून, 1986 को पिस्तोलों से लैस तीन डाकुओं ने केनरा बैंक की अपरा शाखा को लूटने की कोशिश की। जैसे ही बैंक में खतरे की घंटी बजी, दुकानदारों ने अपनी दुकानों के शटर बंद कर दिए और बहुत से लोग डाकुओं का मुकाबला करने के लिए ईंट-पत्थर लेकर छतों पर चढ़ गए। जिस रास्ते से डाकू आए थे उसे लोगों ने घेर लिया। घेराबंदी की व्यवस्था भूतपूर्व सैनिक श्री निर्मल सिंह ने की थी। डाकुओं का मुकाबला

करने के लिए ये अपनी बंदूक लेने अपने घर गए। घर से अपनी बंदूक लेकर लौटते समय इन्होंने देखा कि डाकू विपरीत दिशा की ओर भाग रहे हैं और लोग उनका पीछा कर रहे हैं। इन्होंने भी डाकुओं का पीछा किया और उन पर गोली चलाई। डाकुओं ने भागते-भागते गोली चलाई और बैंक से 2–3 फर्लांग की दूरी पर खड़े ट्रक पर पहुंचने तक दोनों ओर से गोलीबारी होती रही। डाकू ट्रक में सवार हो कर भाग निकले। इस गोली-बारी में श्री निर्मल सिंह घायल हो गए।

इस प्रकार श्री निर्मल सिंह ने अपने जीवन को भारी खतरे में डालकर बहादुरी का परिचय दिया।

33. जी/66564 एच० डी० ई० एस० बलीराम
(मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 14 जुलाई, 1986)

जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स की 452 सड़क अनुरक्षण प्लाटून के डी ई एस बली राम को एक पहाड़ी सड़क के निर्माण के लिए नासिक में नियुक्त किया गया था। इन्हें खड़ी चट्टान से होकर जाने वाली सड़क के पांचवें और छठे कि० मी० के बीच के भाग को सीधा करने के काम में कम्प्रेसर चलाने और उसके रख रखाव का काम सौंपा गया।

अगस्त, 1986 में वर्षा के मौसम के दौरान ड्रिलिंग का काम बहुत जोखिमपूर्ण था। लेकिन निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसे जारी रखना भी जरूरी था। इस जोखिम को देखते हुए कोई भी कम्प्रेसर चालक इस खतरनाक इलाके में कम्प्रेसर चलाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन डी० ई० एस० बली राम अपना कम्प्रेसर उस क्षेत्र में सबसे आगे ले जाने के लिए स्वेच्छा से तैयार हो गए। उन्होंने कम्प्रेसर पर एक महीने से भी अधिक समय तक काम किया और इस प्रकार अपने अन्य साथियों को प्रेरित किया।

14 जुलाई, 1986 को जब इस सड़क के 5.7 कि० मी० पर सबसे अधिक खतरनाक हिस्से पर ड्रिलिंग का काम चल रहा था तो भारी कम्प्रेसर की कम्पन के कारण एक चट्टान फिसल कर उनके सिर पर आ लगी जिससे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। इस प्रकार उन्होंने अपने कार्य को पूरा करने में उच्च कर्तव्य भावना दिखाई और अन्य सहकर्मियों के लिए उच्च कोटि की मिसाल कायम की।

इस प्रकार डी० ई० एस० बली राम ने बहुत कठिन परिस्थितियों में उच्च कोटि की बहादुरी का परिचय दिया और अपना जीवन बलिदान कर दिया।

सु० नीलकण्ठन,
राष्ट्रपति का उप सचिव

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 अप्रैल 1987

नियम

सं० 10/2/87-के० से० (II)—कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 1987 में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ग", भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के संवर्ग के ग्रेड-ग सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "ग" के लिए प्रवर सूचियों में सम्मिलित करने के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के नियम सर्व साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।

2. प्रवर सूचियों में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में बता दी जायेगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण किए जाएंगे।

अनुसूचित जाति/आदिम जाति का अभिप्राय उस किसी भी जाति से है जो निम्नलिखित में उल्लिखित है :—

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950; संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950–; संविधान अनुसूचित जाति (संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951; संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951; (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति) सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा-संशोधित (संविधान) जम्मू और कश्मीर (अनुसूचित जाति) आदेश, 1956; संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959; (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा-संशोधित, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962; संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962; संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964; संविधान अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967; संविधान (गोवा, दमन और द्वीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968; तथा संविधान (नागालैन्ड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970; अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976; संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978; संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित पद्धति के अनुसार ही ली जाएगी ।

किस तारीख को और किन-किन स्थानों पर परीक्षा ली जायेगी, इसका निर्धारण आयोग करेगा ।

4. पात्रता की शर्तें––केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का श्रेणी "घ" या श्रेणी-III का नियमित रूप से नियुक्त कोई भी ऐसा स्थायी अथवा अस्थायी अधिकारी जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो, परीक्षा में बैठने और अपनी सेवा की रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता करने का पात्र होगा अर्थात केन्द्रीय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड–घ के आशुलिपिक उस सेवा के ग्रेड–ग की रिक्तियों के लिए पात्र होंगे । केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "घ" के आशुलिपिक उस सेवा के ग्रेड ग की रिक्तियों के लिए पात्र होंगे और भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड–III के आशुलिपिक भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के संवर्ग के ग्रेड–II की रिक्तियों के लिए पात्र होंगे तथा सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड–घ के आशुलिपिक सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड–ग और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "घ" के आशुलिपिक रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "ग" की रिक्तियों के लिए पात्र होंगे ।

(क) सेवा की अवधि––इस सेवा के ग्रेड घ या ग्रेड–III में नियमित तारीख अर्थात 1–1–1987 को उसकी कम से कम तीन वर्ष की अनुमोदित और निरन्तर सेवा होनी चाहिए ।

टिप्पणी :––ग्रेड–घ के वे अधिकारी जो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हों, और जिनका केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ या ग्रेड-III में धारणाधिकार है, यदि अन्यथा पात्र हों तो इस परीक्षा में बैठ सकेंगे :

परन्तु यदि वह केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "घ"/केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा के श्रेणी "घ"/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "घ" /भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग की श्रेणी-III रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी में "घ" प्रतियोगितात्मक परीक्षा जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा भी शामिल है, के परिणाम पर नियुक्ति किया जाता है तो ऐसी परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख से कम से कम तीन वर्ष पहले घोषित हुए होने चाहिए और उस श्रेणी में उसकी कम से कम दो वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा होनी चाहिए ।

(ख) आयु––उसकी आयु पहली जनवरी, 1987 को 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात वह 2 जनवरी, 1937 से पहले पैदा नहीं हुआ हो ।

(ग) ऊपर लिखित ऊपरी सीमा आयु में निम्नलिखित और छूट होगी ––

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो, तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक ।

(ii) यदि उम्मीदवार बंगला देश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद (लेकिन 26 मार्च, 1971 से पहले) प्रव्रजन करके भारत में आया हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ।

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति का हो और बंगला देश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से आया हुआ हो और पहली जनवरी, 1964 को या उसके बाद (लेकिन 26 मार्च 1971 से पहले) प्रव्रजन कर भारत में आया हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक ।

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिकतम 3 वर्ष तक ।

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिकतम 8 वर्ष तक ।

(vi) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजित हो, तो अधिकतम 3 वर्ष तक ।

(vii) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और किसी अनुसूचित या आदिम जाति का हो तथा केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजित हो, तो अधिकतम 8 वर्ष तक ।

(viii) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ।

(ix) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा बर्मा से आया हुआ वास्तविक प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद में भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक ।

(x) किसी दूसरे देश के संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रव-ग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियों को करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक ।

(xi) किसी दूसरे देश के संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रव-ग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियों को करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों से संबंधित रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक ।

(xii) 1971 में हुए भारत-पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किये गये सीमा-सुरक्षा बल के कार्मिकों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक ।

(xiii) 1971 में हुए भारत-पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किये गये सीमा-सुरक्षा बल के ऐसे कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 8 वर्ष तक जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के हों ।

(xiv) यदि उम्मीदवार वियतनाम से भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है तथा वह भारत में जुलाई, 1975 से पहले नहीं आया है, तो उसके मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक, और

(xv) यदि उम्मीदवार वियतनाम से भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है तथा वह भारत में जुलाई, 1975 से पहले नहीं आया हो और वह किसी अनुसूचित आदिम जाति का हो, तो उसके मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक ।

(xvi) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से आया हुआ विस्थापित हो और पहली जनवरी, 1971 से 31 मार्च, 1973 के दौरान प्रव्रजन करके भारत में आया हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष ।

(xvii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो और भूतपूर्व पाकिस्तान से आया हुआ विस्थापित हो और पहली जनवरी, 1971 से 31 मार्च, 1973 के दौरान प्रव्रजन करके भारत में आया हो, तो अधिक से अधिक 5 वर्ष, जो कि उपरोक्त पैरा (xvi) के अतिरिक्त होगी ।

उपर्युक्त बातों के अलावा ऊपर निर्धारित आयु सीमा में और किसी हालत में छूट नहीं दी जायेगी ।

(ख) आशुलिपिक परीक्षा:—जब तक कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड–घ/ग्रेड–III में स्थायीकरण, या बने रहने के प्रयोजन के लिए आयोग की आशुलिपिक परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट न मिल पाई हो, उसने परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को या उससे पूर्व वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली होनी चाहिए ।

टिप्पणी :—ग्रेड-घ या ग्रेड-III के जो आशुलिपिक सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं और जिनका इस सेवा के ग्रेड–घ या ग्रेड-III में धारणाधिकार है, यदि अन्यथा पात्र हों, वे परीक्षा में सम्मिलित किये जाने के पात्र होंगे तथा यह बात ग्रेड–घ/ग्रेड–I_II में उन आशुलिपिकों पर लागू नहीं होती जो स्थानान्तरित रूप में संवर्ग बाह्य पदों पर या अन्य सेवा में नियुक्त किये गये हों और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के संवर्ग सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ/ग्रेड-III में धारणाधिकार न रखते हों ।

5. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।

6. यदि किसी उम्मीदवार के पास आयोग का प्रवेश-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न होगा तो उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया जायेगा ।

7. उम्मीदवार को आयोग की विज्ञप्ति के पैरा 5 में निर्धारित शुल्क देना होगा ।

8. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा अपराधी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति ने छद्म रूप में कार्य साधने कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये हैं जिसमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे घोषणा दिये हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाये हैं, अथवा

(viii) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है, अथवा

(ix) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है, और उसके साथ ही उसे-

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से, जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए-

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(2) केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है और

(ग) उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है ।

9. परीक्षा के पश्चात् प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अन्तिम रूप से प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग द्वारा उनकी योग्यता क्रम से पांच अलग सूचियां बनायी जायेंगी और उसी क्रम के अनुसार आयोग उस परीक्षा में जितने उम्मीदवारों को सफलता प्राप्त समझेगा, उनके नाम अपेक्षित संख्या तक, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के संवर्ग और सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड–ग की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए सिफारिश करेगा :

परन्तु यदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक समान मानक के आधार पर रिक्तियां न भरी जा सकें तो आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए मानक में ढील देकर सिफारिश की जा सकती है चाहे परीक्षा की योग्यता सूची में उनका कोई भी रैंक क्यों न हो, बशर्ते कि उम्मीदवार केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के संवर्ग सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग की चयन सूची में शामिल करने के लिए, योग्य हों ।

टिप्पणी :—उम्मीदवार को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा (क्वालिफाइंग एग्जामीनेशन), इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के संवर्ग के ग्रेड–ग/ ग्रेड–II, सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग प्रवरण सूची में कितने उम्मीदवारों के नाम शामिल किए जायें, इसका निर्णय करने के लिए सरकार पूरी तरह सक्षम है । इसलिए कोई भी उम्मीदवार अधिकार के तौर पर इस बात का कोई दावा नहीं कर सकेगा कि उनके द्वारा परीक्षा में दिए गए निष्पादन के आधार पर उसका नाम प्रवरण सूची में शामिल किया ही जाए ।

10. हर एक उम्मीदवार के परीक्षाफल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणामों के बारे में उनसे कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा ।

11. परीक्षा में सफलता से चयन का अधिकार नहीं मिल जाता जब तक कि संवर्ग प्राधिकारी, ऐसी छानबीन के बाद जो आवश्यक समझी जायें, संतुष्ट न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा में अपने चरित्र के विचार से चयन के लिए सब प्रकार से उपयुक्त है ।

12. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन-पत्र देने के बाद या परीक्षा में बैठ जाने के बाद केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अपने पद से त्याग-पत्र दे देगा अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सेवा को छोड़ देगा या उससे अपना संबंध विच्छेद कर लेगा या जिसकी सेवाएं उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी गयी हों, या किसी निसंवर्गीय पद या दूसरी सेवा में स्थानांतरण द्वारा नियुक्त किया जा चुका हो और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड–घ/केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा के ग्रेड– घ/ भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के संवर्ग के ग्रेड–III या सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड–घ में धारणाधिकारी न हो, वह इस परीक्षा में परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । तथापि, यह ग्रेड–घ/ग्रेड–III के उन आशुलिपिकों पर लागू नहीं होगा, जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति के रूप में नियुक्त किया जा चुका हो ।

एच० जी० मण्डल, अवर सचिव

परिशिष्ट

लिखित परीक्षा के विषय, तथा प्रत्येक के लिए दिया गया समय तथा पूर्णांक इस प्रकार होगा :—

भाग क—लिखित परीक्षा

विषय	दिया गया समय	पूर्णांक
(i) सामान्य अंग्रेजी	1 1/2 घण्टे	50
(ii) निबन्ध	1 1/2 घण्टे	50
(iii) सामान्य ज्ञान	3 घण्टे	100

भाग ख—हिन्दी या अंग्रेजी आशुलिपिक परीक्षा (लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों के लिए) 200 अंक

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को अपने आशुलिपिक नोट टंकण मशीन में लिप्यंतरित करने होंगे, और इस प्रयोजन के लिए उन्हें अपनी मशीन लानी होगी ।

भाग ग—ऐसे उम्मीदवारों के सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन जो आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार निर्णीत किए जायें, अधिकतम 100 अंक ।

2. लिखित परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण तथा आशुलिपिक परीक्षाओं की योजना इस परिशिष्ट की संलग्न अनुसूची में दिए गए के अनुसार होगी ।

3. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्र (ii) निबन्ध और (iii) सामान्य ज्ञान का उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में देने की छूट है और उपर्युक्त दोनों प्रश्न-पत्रों के लिए एक ही माध्यम (अर्थात् हिन्दी या अंग्रेजी) को चुनना होगा । जो उम्मीदवार इन दोनों प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी में लिखने का विकल्प लेंगे उन्हें आशुलिपिक की परीक्षा भी केवल हिन्दी में ही देनी होगी और जो उम्मीदवार प्रश्न पत्रों को अंग्रेजी में लिखने का विकल्प लेंगे उन्हें आशुलिपिक की परीक्षा भी केवल अंग्रेजी में ही देनी होगी । सभी उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्र (i) सामान्य अंग्रेजी का उत्तर अंग्रेजी में देना होगा ।

टिप्पणी 1:—जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में (ii) निबन्ध तथा (iii) सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों का उत्तर तथा आशुलिपि की परीक्षाओं में हिन्दी लिखने के इच्छुक हों, में यह विकल्प आवेदन-पत्र के कालम 6 में लिखें अन्यथा यह माना जायेगा कि उम्मीदवार लिखित परीक्षा तथा आशुलिपि की परीक्षाएं अंग्रेजी में लिखेगा । एक बार का विकल्प अन्तिम समझा जायेगा और उक्त कालम में कोई परिवर्तन करने का अनुरोध साधारणतया स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

टिप्पणी 2:—ऐसे उम्मीदवारों को अगली नियुक्ति के बाद जो आशुलिपि की परीक्षा हिन्दी में देने का विकल्प लेंगे, अंग्रेजी आशुलिपिक और जो आशुलिप की परीक्षा अंग्रेजी में देने का विकल्प लेंगे उन्हें हिन्दी आशुलिपि आवश्यक रूप में सीखनी पड़ेगी ।

टिप्पणी 3:—उम्मीदवार ने जिस भाषा का विकल्प दिया है उसके अलावा अन्य किसी भाषा में उत्तर लिखने अथवा आशुलिपि की परीक्षा देने पर कोई मान्यता नहीं दी जायेगी ।

4. जो उम्मीदवार 120 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे वे 100 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में वही स्तर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से क्रम में ऊपर होंगे । प्रत्येक वर्ग में उम्मीदवारों को प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए कुल अंकों के अनुसार पारस्परिक प्रवरता अनुसार रखा जाएगा (निम्नलिखित अनुसूची का भाग (ख) देखें ।)

5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे । किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

6. आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी या सभी विषयों में अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित करेगा ।

7. केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आशुलिपिक परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा जो आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार नियत किए गए न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेंगे ।

8. केवल सतही ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जायेंगे ।

9. अस्पष्ट लिखावट के कारण लिखत विषयों के अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत अंक तक काट लिए जायेंगे ।

10. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेषतया लाभ दिया जायेगा कि भावाभिव्यक्ति आवश्यकतानुसार कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभाव पूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गयी हो ।

अनुसूची

लिखित परीक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम विवरण

(भाग—क)

टिप्पणी :—भाग "क" प्रश्न पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय की "मैट्रिकुलेशन" परीक्षा का होता है ।

सामान्य अंग्रेजी—यह प्रश्न पत्र इस रूप से तैयार किया जायेगा कि जिससे उम्मीदवारों के अंग्रेजी व्याकरण और निबन्ध रचना के ज्ञान की तथा अंग्रेजी भाषा को समझने और शुद्ध अंग्रेजी लिखने की उसकी योग्यता की जांच हो जाये । अंक देते समय वाक्य-विन्यास/सामान्य अभिव्यक्ति और भाषा कौशल को ध्यान में रखा जायेगा । इस प्रश्न पत्र में निबन्ध लेखन, सार लेखन, मसौदा लेखन, शब्दों का शुद्ध प्रयोग, आपान मुहावरों और उपसर्ग (प्रोपोजीशन), डायरेक्ट और इन-डायरेक्ट स्पीच आदि शामिल किए जा सकते हैं ।

निबन्ध—कई निर्धारित विषयों में से किसी एक पर निबन्ध लिखना होगा ।

सामान्य ज्ञान—निम्नलिखित विषयों का कुछ ज्ञान —

भारत का संविधान —पंचवर्षीय योजनाएं, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारत का सामान्य और आर्थिक भूगोल, सामान्य घटनाएं, सामान्य विज्ञान तथा दिन-प्रति-दिन नजर आने वाली ऐसी बातें जिनकी जानकारी पढ़े-लिखे व्यक्ति को होनी चाहिए । उम्मीदवारों के उत्तर से यह प्रकट होना चाहिए कि उन्होंने प्रश्नों को अच्छी तरह समझा है । उनके उतरों से किसी पाठ्य-पुस्तक के ब्यौरेवार ज्ञान की अपेक्षा नहीं की जाती है ।

भाग—ख

आशुलिपिक परीक्षाओं की योजना

अंग्रेजी में आशुलिपिक की परीक्षाओं में दो डिक्टेशन परीक्षाएं होंगी, एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिए और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिए जो उम्मीदवारों को क्रमशः 45 तथा 50 मिनटों में लिप्यंतर करनी होगी ।

हिन्दी में आशुलिपिक की परीक्षाओं में दो डिक्टेशन परीक्षाएं होंगी एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिए, और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिन्ट के लिए जो उम्मीदवारों को क्रमशः 60 तथा 65 मिनटों में लिप्यंतर करनी होगी ।

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 11 अप्रैल 1987

सं० 4/9/87-के० से० (1)—निम्नलिखित सेवाओं के ग्रेड-I की चयन सूचियों में सम्मिलित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1987 में ली जाने वाली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सम्मिलित ग्रेड-I (अवर सचिव) सीमित विभागीय परीक्षा के नियम संबंधित मंत्रालयों की सहमति से सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ।

वर्ग–I

केन्द्रीय सचिवालय सेवा का ग्रेड-I

वर्ग-II

भारतीय विदेश सेवा, शाखा "ख" के सामान्य संवर्ग का ग्रेड-I

1. प्रत्येक ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए चयन किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किये गये नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी ।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा परिशिष्ट में निर्धारित नियमों के अनुसार ली जाएगी ।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निश्चित किए जाएंगे ।

3. (क) स्थायी अधिकारी या अन्य ऐसे अधिकारी जिसका नाम नीचे कालम 1 में उल्लिखित ग्रेडों और सेवाओं की चयन सूची में सम्मिलित कर लिया गया है, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है, तथा जिसने 31 दिसम्बर, 1986 को कालम 2 में उल्लिखित सेवा से संबंधित शर्तें पूरी कर ली हैं, कालम 3 में उल्लिखित सेवा के वर्ग हेतु परीक्षा में बैठने का पात्र होगा ।

कालम I	कालम II	कालम III
केंद्रीय सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड और/ या केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड "क"	केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में अथवा केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "क" में अथवा दोनों में, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 4 वर्ष से कम न हो ।	वर्ग–I
सामान्य संवर्ग का समेकित ग्रेड-II और III और/या भारतीय विदेश सेवा "ख" के आशुलिपिक संवर्ग का "चयन ग्रेड"	सामान्य संवर्ग के समेकित ग्रेड-II और III या भारतीय विदेश सेवा "ख" के आशुलिपिक संवर्ग के चयन ग्रेड अथवा दोनों में, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 4 वर्ष से कम न हो ।	वर्ग-II

टिप्पणी :—

(1) केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "क' तथा भारतीय विदेश सेवा, शाखा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के चयन ग्रेड के अधिकारियों के मामले में अनुमोदित सेवा में, उक्त सेवा के ग्रेड "ख"/ग्रेड-I में की गई अनुमोदित सेवा की आधी अवधि शामिल होगी ।

(2) सैनिक ड्यूटी में रहने पर अनुपस्थिति की किसी भी अवधि को उपर्युक्त पदों में से किसी भी पद के लिए निर्धारित सेवा काल में गिनने की अनुमति दी जाएगी ।

(3) केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी तथा केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "क" तथा

(II) सामान्य संवर्ग के समेकित ग्रेड-II और III तथा भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के चयन ग्रेड के अधिकारियों को, जो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से संवर्ग बाह्य पद पर हैं; यदि अन्यथा पात्र हों, तो परीक्षा में प्रवेश की अनुमति होगी । किन्तु यह किसी ऐसे अधिकारी पर लागू नहीं होगा जो किसी संवर्ग बाह्य

पद पर नियुक्त हुआ हो अथवा स्थानांतरण पर किसी अन्य सेवा में नियुक्त किया गया हो और जिसका (I) और (II) में उल्लिखित अपने ग्रेड में पुनर्ग्रहणाधिकार न हो।

4. परीक्षा में प्रवेश के लिए अथवा अन्यथा किसी बात के लिए उम्मीदवार की पात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

5. किसी भी उम्मीदवार को तब तक परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसके पास आयोग से प्राप्त प्रवेश प्रमाण-पत्र न हो।

6. आयोग द्वारा निम्नलिखित कारणों से घोषित, दोषी उम्मीदवार को जिसने :—

(i) किसी भी तरीके से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त करने, अथवा

(ii) प्रतिरूपण करने, अथवा

(iii) किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करवाने, अथवा

(iv) जाली अथवा ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करना, जिनमें हेर-फेर किया हो, अथवा

(v) गलत अथवा असत्य विवरण देने अथवा तथ्य को छिपाने, अथवा

(vi) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुपयुक्त तरीकों से काम लेने, अथवा

(vii) परीक्षा के दौरान अनुचित तरीके अपनाने, अथवा

(viii) उत्तर पुस्तिकों (पुस्तिकाओं) में अप्रासंगिक विषय लिखने, जिसमें अश्लील भाषा अथवा अश्लील सामग्री शामिल है, अथवा

(ix) परीक्षा भवन में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करने, अथवा

(x) परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करने अथवा उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाने, अथवा

(xi) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन किया हो, या

(xii) पूर्वोक्त खंडों में बताया गया कोई काम करने का प्रयत्न अगर कोई करता हो या इन कामों को करने के लिए किसी को उकसाता हो तो उसके खिलाफ आपराधिक अभियोग को चलाया ही जा सकता है, इसके अतिरिक्त उसे—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसके लिए वह उम्मीदवार है, अथवा

(ख) (i) आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा अथवा चयन से

(ii) केन्द्र सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नियोजन से, स्थायी रुप से

अथवा किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वर्जित किया जा सकता है, और

(ग) समुचित नियमों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक।

(i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न लिया गया हो।

7. आयोग जिन उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयन के लिए उपयुक्त समझेगा उनके नामों का, जिसमें दोनों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार सम्मिलित होंगे, योग्यता क्रम में एक ही सूची बनाएगा और इस क्रम से जितने भी उम्मीदवार आयोग द्वारा योग्य माने जाएंगे उनकी चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए अपेक्षित संख्या तक अनुशंसा की जाएगी।

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा।

परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रत्येक चयन सूची में शामिल किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या नियत करने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्षम है। कोई भी उम्मीदवार इस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर चयन सूची में शामिल किये जाने के लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेगा।

8. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा फल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा। आयोग परीक्षा फल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

9. परीक्षा में सफल हो जाने मात्र से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता, जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में कार्य संचालन की दृष्टि से चयन के लिए हर प्रकार से योग्य है।

परन्तु आयोग द्वारा चयन के लिए अनुशंसित किए गए किसी उम्मीदवार क चयन के लिए अपात्र मानने के बारे में निर्णय आयोग के साथ परामर्श करके किया जाएगा।

10. यदि कोई उम्मीदवार जो परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र भेजने के बाद अथवा परीक्षा में बैठने के बाद अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र दे देता है अथवा और किसी कारणवश सेवा छोड़ देता है अथवा उससे संबंध विच्छेद कर लेता है अथवा उसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है अथवा उसे किसी संवर्ग बाह्य पद पर अथवा अन्य सेवा में स्थानांतरण पद पर नियुक्त कर दिया जाता है और उसका उपयुक्त नियम 3(क) के कालम 1 में उल्लिखित ग्रेडों और सेवाओं में अपना पुर्न-ग्रहणाधिकार नहीं है तो वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह बात उस व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होती जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त हो।

ज्ञान प्रकाश कालड़ा, उप सचिव

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी।

भाग–I : निम्नलिखित विषयों पर दो प्रश्न पत्रों की लिखित परीक्षा होगी जिनमें से हर एक के 200 अंक रखे गए हैं।

(वर्ग I और II के लिए)

प्रश्न पत्र-I भारत सरकार सचिवालय और संलग्न कार्यालयों की प्रक्रिया और पद्धति।

प्रश्न पत्र-II भारतीय संविधान तथा शासन तंत्र का सामान्य ज्ञान संसदीय पद्धति और प्रक्रिया।
प्रत्येक प्रश्न पत्र 2½ घन्टे का होगा।

भाग-II आयोग की विवेक्षा पर ऐसे उम्मीदवारों के गोपनीय अभिलेखों का मूल्यांकन तथा साक्षात्कार-200 अंक।

2. परीक्षा की पाठ्यचर्या अनुसूची के अनुसार होगी।

3. उम्मीदवारों को प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी तथा हिन्दी (देवनागरी) में देने का विकल्प होगा। प्रश्न-पत्र अंग्रेजी और हिन्दी में तैयार किए जाएंगे।

टिप्पणी–I : सभी प्रश्नों के लिए एक सा विकल्प होगा तथा उसी प्रश्न-पत्र में विभिन्न प्रश्नों के लिए अलग-अलग विकल्प नहीं होगा।

टिप्पणी–II उक्त प्रश्न-पत्रों का उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में देने का विकल्प देने वाले उम्मीदवारों को अपने इस इरादे का उल्लेख आवेदन पत्र के सम्बद्ध कालम में स्पष्ट रूप से करना चाहिए, नहीं तो यह समझा जाएगा कि वे सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम मान लिया जाएगा तथा उक्त कालम में परिवर्तन करने का कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी-III प्रश्न-पत्र के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में लिखने वाले उम्मीदवार, यदि वे चाहें तो, हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली, यदि कोई हो, के साथ अंग्रेजी पर्याय भी कोष्ठक में दे सकते हैं।

4. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर स्वयं ही लिखने होंगे। किसी भी परिस्थिति में उत्तर लिखने के लिए उन्हें किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं होगी।

5. आयोग अपनी विवेक्षा पर परीक्षा के किसी क या सभी भागों के अर्हक अंक निर्धारित करेगा। केवल उन्हीं उम्मीदवारों के गोपनीय रिपोर्टों के मूल्यांकन तथा साक्षात्कार में बुलाए जाने पर विचार किया जाएगा जो लिखित परीक्षा में आयोग की विवेक्षानुसार नियत किए गए न्यूनतम अर्हक प्राप्त कर लेंगे।

6. मात्र सतही ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

7. लिखित विषयों में असपष्ट लिखाई के लिए अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत अंक तक काट लिए जाएंगे।

8. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात को श्रेय दिया जाएगा कि अभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई हो।

9. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात्) 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि का ही प्रयोग करना चाहिए।

अनुसूची

परीक्षा की पाठ्यचर्या

जहां नियमों, आदेशों, अनुदेशों आदि का ज्ञान अपेक्षित है, उम्मीदवारों से यह आशा की जाएगी कि वे इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख तक जारी किए गए संशोधनों की जानकारी रखें।

भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों का प्रक्रिया और पद्धति (वर्ग I तथा II के लिए)

इसका उद्देश्य भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों की प्रक्रिया और पद्धति में गहन तथा विस्तृत परीक्षा है। इस विषय पर कुछ मार्गदर्शन निम्नलिखित पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है :—

(i) इस अधिसूचना के समय प्रचलित कार्यालय प्रक्रिया पुस्तिका।

(ii) कार्यालय प्रक्रिया पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां ।

(iii) संघ के सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका ।

भारत के संविधान और शासन तंत्र, संसद प्रक्रिया और पद्धति का सामान्य ज्ञान

टिप्पणी :—निम्नलिखित विषयों के ज्ञान की अपेक्षा की जाती है ।

(1) भारत के संविधान के मुख्य सिद्धान्त ।

(2) लोक सभा तथा राज्य सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली ।

(3) भारत सरकार के शासन तंत्र का संगठन—मंत्रालयों, विभागों तथा संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के पदनाम तथा उनमें विषयों का आबंटन और उनके परस्पर संबंध ।

पर्यावरण और वन मंत्रालय

पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 मार्च 1987

संकल्प

सं० ई० 12014/2/84-का० हिन्दी—भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण, वानिकी, वन्यजीव और गंगा परियोजना से संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक कार्यों के भारतीय लेखकों को पुरस्कार के लिए एक योजना लागू की है । इस योजना की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं :—

1. योजना का नाम :

1.1 इस योजना का नाम "पर्यावरण, वानिकी, वन्यजीव और गंगा परियोजना के क्षेत्र में हिन्दी में मौलिक पुस्तकों के लिए पुरस्कार" होगा ।

2. उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र :

2.1 इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण से सम्बन्धित पुस्तकों के हिन्दी में मौलिक लेखन को बढ़ावा देना है । इस योजना के अन्तर्गत उन भारतीय लेखकों को सम्मानित किया जाएगा जो मौलिक हिन्दी पुस्तकों का लेखन करते हैं ।

2.2 इस उद्देश्य के लिए पर्यावरण से सम्बन्धित चुने गए विषय नीचे दिए गए है :—

1. प्रदूषण नियन्त्रण
2. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन
3. पारिस्थितिकी पुनर्जनन एवं विकास
4. वन संसाधन एवं विकास
5. वन्यजीव
6. अनुसंधान संवर्द्धन
7. पर्यावरण शिक्षा
8. प्रकृति का संरक्षण

जो भारतीय लेखक, उपर्युक्त विषयों में से किसी पर पुस्तकें प्रकाशित करते हैं, वे पुरस्कार के लिए विचारार्थ प्रविष्टियां प्रस्तुत कर सकते हैं । प्रकाशक या अन्य कोई व्यक्ति अथवा संस्थान, लेखकों की ओर से, पुरस्कार की मंजूरी के लिए मौलिक पुस्तकों की प्रविष्टियां प्रस्तुत कर सकता है ।

3. पुरस्कार की राशि :

3.1 प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष में, निम्नलिखित के अनुसार तीन सर्वश्रेष्ठ एवं अन्य प्रविष्टियों पर पुरस्कार दिए जायेंगे :—

पहला पुरस्कार	5000/- रु०
दूसरा पुरस्कार	3000/- रु०
तीसरा पुरस्कार	2000/- रु०

पांचवा सान्त्वना पुरस्कार 1000/-रु० के हैं ।

उपर्युक्त पुरस्कारों के विजेता मंत्रालय से कोई भी अन्य लाभ अथवा सहायता के पात्र नहीं होंगे ।

3.2 यदि किसी भी वर्ष यह पाया गया कि उपर्युक्त मानक के अनुरूप कोई भी प्रविष्टि नहीं है तो इस बारे में पर्यावरण और वन मंत्रालय का निर्णय अन्तिम होगा ।

4. योजना की विशेषताएं :

4.1 यह योजना पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा संचालित की जायेगी ।

4.2 पुरस्कार प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए दिए जायेंगे । पिछले वर्ष के दौरान हिन्दी में उपयुक्त मौलिक, प्रकाशित कार्यों पर विचार किया जाएगा । तथापि, प्रारम्भ में कैलेण्डर वर्ष 1987 के लिए, 1986 से पहले लिखित/प्रकाशित पुस्तकों पर भी विचार किया जाएगा ।

4.3 कैलेण्डर वर्ष के दौरान प्रस्तुत की गई पुस्तकों का मूल्यांकन, सिफारिशें देने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा गठित एक मूल्यांकन समिति द्वारा किया जायेगा । अन्तिम निर्णय पर्यावरण और वन मंत्रालय के सचिव द्वारा किया जायेगा ।

4.4 ऐसी कोई पुस्तक जिसको भारत सरकार, किसी राज्य सरकार अथवा निजी निकाय द्वारा चलाई गई किसी अन्य योजना के अन्तर्गत कोई पुरस्कार, परिदान अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त हो गई हो, इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार के लिए विचार किए जाने की पात्र नहीं होगी ।

(क) किसी भी लेखक को एक कैलेण्डर वर्ष में एक से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे ।

(ख) चुनी गई पुस्तकों को आवश्यकता के आधार पर पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा इसके कार्यालयों में अधिक खरीद के लिए सिफारिश की जाएगी ।

5. पुरस्कार के लिए आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया :

पर्यावरण और वन मंत्रालय, अंग्रेजी और हिन्दी के प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित सूचना के माध्यम से लेखकों से पुरस्कारों के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित करेगा ।

6. मूल्यांकन समिति :

6.1 मूल्यांकन समिति का गठन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा और अध्यक्ष सहित इसके चार सदस्य होंगे । यदि समिति चाहे तो अपनी सहायता के लिए दो विशेषज्ञों को सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकती है ।

6.2 यदि किसी विशेष वर्ष में मूल्यांकन समिति का कोई सदस्य स्वयं पुरस्कार प्राप्त किए जाने पर विचार किए जाने का इच्छुक है तो उस विशेष वर्ष के लिए वह मूल्यांकन समिति का सदस्य नहीं रहेगा ।

6.3 मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदस्य को अभिधियों द्वारा प्रस्तुत पुस्तकों पर उनके द्वारा किए गए मूल्यांकन के लिए यथा-निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाएगा ।

6.4 मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन समिति की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के बाद पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी।

6.5 समिति के सदस्यों के नाम और मूल्यांकन समिति की कार्यवाही गोपनीय रखी जाएगी।

7. सामान्य :

7.1 पर्यावरण और वन मंत्रालय और इसके कार्यालयों के कर्मचारियों को भी उपर्युक्त योजना में भाग लेने की अनुमति होगी लेकिन पर्यावरण और वन मंत्रालय इत्यादि के कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में लिखी पुस्तकों को उन्हें उपलब्ध विशेष सुविधाओं के संदर्भ में आंका जाएगा।

7.2 उपर्युक्त योजना में भाग लेने वाले अन्य सरकारी कर्मचारियों को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए विचार किए जाने हेतु प्रविष्टियों को प्रस्तुत करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

7.3 यह योजना, जिसकी अब घोषणा की गई है, प्रत्येक वर्ष जारी रहेगी। तथापि, इसकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करते हुए मंत्रालय इस योजना को जारी रखने के बारे में पुनरीक्षा करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, भारत के सभी विश्व-विद्यालयों तथा समाचार एजेन्सियों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

को० बालकृष्णन अय्यर, संयुक्त सचिव

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 मार्च, 1987

सं० 11-1/83-जीवन बीमा—राष्ट्रपति, डाक जीवन बीमा और बंदोबस्ती बीमा नियमावली, में निम्नलिखित और आगे संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों को डाक जीवन बीमा और बन्दोबस्ती बीमा (संशोधन) नियमावली, 1987 कहा जायेगा।

(ii) ये नियम 20 मार्च, 1987 से प्रभावी होंगे।

2. डाक जीवन बीमा और बंदोबस्ती बीमा नियमावली के नियम 2 में—

(i) दिनांक 15-11-1985 की अधिसूचना सं० 11-3-/84 जी० बी० द्वारा शामिल किए गए उप नियम (22) के बाद निम्नलिखित उप-नियम शामिल किए जायें, अर्थात्:—

"(23) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सभी नियमित कर्मचारी।"

(ii) मौजूदा उप नियम (23) और उप नियम (24) को क्रमशः उप नियम (24) और उप नियम (25) के बतौर दुबारा संख्याकित किया जाए।

(iii) उप नियम (22) शब्द के पश्चात "और (23)" शब्द जोड़े जिसे उप-नियम 24 के रूप में पुनः संख्या दी गई है।

(iv) मौजूदा उप नियम (22) के नीचे टिप्पणी निकाल दी जाए।

(v) इस प्रकार शामिल किए गए नए उप नियम (23) में निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ दी जाए।

"टिप्पणी : उप नियम (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), तथा (23) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के मामले में प्रीमियम उनके द्वारा चुने गए डाकघर में प्रीमियम का भुगतान नकद करना होगा।"

इसे वित्त मंत्रालय (वित्तीय कार्य विभाग, बीमा डिवीजन), भारत सरकार नई दिल्ली के दिनांक 22-5-1986 के अ० स० पत्र संख्या 19/(ए० सी० टी० एल० (1)/78 तथा डाक वित्त की दिनांक 2-3-1987 की डायरी संख्या 840/एफ०ए०पी०/87 की सहमति से जारी किया जा रहा है।

पी० बी० विश्वास, निदेशक
(डा० जी० बीमा)

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 1987

No. 35-Pres/87.—The President is pleased to approve the award of 'Shaurya Chakra' to the undermentioned persons for acts of gallantry :—

1. Shri Chatur Singh,
District Mathura,
Uttar Pradesh.

(*Effective date of the award* : 6*th December* 1981)

On the 6th December, 1981, about 10 to 12 miscreants attacked the house of Shri Goverdhan and committed dacoity using firearms. Shri Chatur Singh, a neighbour, challenged the miscreants and fired on them thereby killing one miscreant Mahender Singh on the spot and injuring three others. He recovered a major part of the looted property. The rest of the miscreants managed to escape taking away a part of the looted property.

The above act of Shri Chatur Singh is one of extreme courage and bravery which he did in public service unmindful of the risk involved to his own life.

2. Kumari Nirmala Devi,
District Gobindpur,
Rajpura.

(*Effective date of the award* : 29*th March*, 1984)

On the night of 29th March, 1984, at about 11.30 p.m., some dacoits entered the house of Shri Gurdev Singh. When they lifter the trunk lying inside, Kumari Nirmala, daughter of Shri Singh, aged 14–15 years, who was sleeping in the house, woke up and chased the dacoits for about four hundred yards. She attacked one of the dacoits with a 'gandasi' she had carried with her. She was hit and wounded on the head by one of the dacoits who was hiding nearby. Inspite of injuries on her person, she continued to chase the dacoits shouting 'chor', chor'. As a result of the courage and presence of mind shown by her, the dacoits were caught by the villagers.

Kumari Nirmala Devi, though young, displayed dauntless courage and bravery.

3. Shri Shanti Kumar Rai, (*Posthumous*)
Allahabad.

(*Effective date of the award* : 20*th June*, 1984)

On the night of 20th/21st June, 1984, at about 9.15 p.m., a gang of dacoits snatched a wrist watch and Rs. 350/- from one Shri Ram Khilawan Singh of village Jekar Kalan, Thana Lalgang, District Mirzapur and reached the village Dobar Bazar. Shri Shanti Kumar Rai, Manager of Rural Bank, who was sleeping outside his house near the Bank, got suspicious about the movements of the gangsters passing by and challenged them. The gangsters turned on him and asked for the keys of the bank. He refused and caught hold of two of them. The gangsters fired at him and looted his house. On hearing the noise, the villagers collected there and one of them fired in the air with his gun. However, the dacoits managed to escap. Shri Rai and another person, who had sustained gunshot injuries, scumbed to the injuries.

Shri Shanti Kumar Rai thus displayed exceptional courage and devotion to duty.

4. MAJOR Bharat Bhushan Basra (IC-28172), Artillery.

(Effective date of the award : 2nd November 1984)

On the 2nd November, 1984, Major Bharat Bhushan Basra was travelling in 27 Airconditioned Express enroute Pokharan ranges for the unit practice camp, alongwith Major J. P. Singh, Major A. S. Ghuman, Embarkation Headquarters, Bombay, was travelling in the same compartment with his family. When the train arrived at the Subzi Mandi Railway Station, Delhi, it was immediately attacked by a violent mob indulging in riotous act of pulling out members of a particular community and killing them in cold blood.

One part of this riotous mob charged on the compartment in which Major Ghuman was travelling and demanded that he and his family be handed over to them. Notwithstanding the risk of his own life, Major Bharat Bhushan Basra got the compartment door closed with the help of Major J. P. Singh and then both stood guard outside. Though the mob threatened them with dire consequences they faced the mob's wrath with cool courage and pushed the crowd away from the compartment saving the precious lives of a brother officer and his family.

Major Bharat Bhushan Basra thus displayed exemplary dedication and conspicuous courage in the best traditions of the Army.

5. Major Jaswinder Pal Singh (IC-30574), Artillery.

(Effective date of the award : 2nd November, 1984)

On the 2nd November, 1984, Major Jaswinder Pal Singh was travelling in 27 Air-conditioned Express enroute Pokharan ranges for the unit practice camp, alongwith Major Basra. Major A. S. Ghuman of Embarkation Headquarters, Bombay was travelling in the same compartment with his family. When the train arrived at the Subzi Mandi Railway Station, Delhi, it was immediately attacked by a violent mob indulging in riotous act of pulling out members of a particular community and killing them in cold blood.

One part of this riotous mob charged on the compartment in which Major Ghuman was travelling and demanded that he and him family be handed over to them. Notwithstanding the risk to his own life, Major Jaswinder Pal Singh got the compartment door closed with the help of Major Basra and then both stood guard outside. Though the mob threatened them with dire consequences, they faced the mob's wrath with cool courage and pushed the crowd away from the compartment, saving the precious lives of a brother officer and his family.

Major Jaswinder Pal Singh thus displayed exemplary dedication and conspicuous courage, in the best traditions of the Army.

6. Shri Tilak Kumar Tiwari, (Posthumous)
Bhopal,
Madhya Pradesh.

(Effective date of the award : 2nd December 1984)

Shri Tilak Kumar Tiwari was a student of Government Motilal Vigyan Mahavidyalaya, Bhopal, in December, 1984. On the midnight of 2nd/3rd December, 1984, one of the biggest industrial tragedies took place in the Union Carbide Factory at Bhopal. Although fully aware of the highly toxic nature of the gas and the danger it could pose to life he, in the highest tradition of selfless social service, took active part in removing the helpless victims and dead bodies from the place where they lay exposed. In the process, he himself got exposed to the lethal gas and passed away.

Shri Tilak Kumar Tiwari showed tremendous courage and set up a shining example of dedication and selfless service to fellow human beings at the cost of his own life.

7. G/63549H Superintendent BR Grade II Vishambhar Singh. (Posthumous)

(Effective date of the award : 23rd January, 1985)

Kashmir valley experienced its worst winter in over two decades during the year 1985/86 with temperature hovering around—14°C and winds blowing around 100 KMPH in the Banihal area.

On the 23rd January, 1985, unprecedent snow storms lashed the Jawahar Tunnel area and triggered off major avalanches blocking both ends of the tunnel. The formation of icicles had rendered considerably the visibility inside the tunnel. Traffic had come to a standstill and the Kashmir valley was cut off from rest of the country.

Superintendent BR Grade II of 1674 of Tunnel Maintenance unit Shri Vishambhar Singh was assigned the task of clearing the entrance to the tunnel as also the icicles inside it. At about 10.00 A.M. after clearing the entrance at the South Portal of the Western Tube, he proceeded to clear the tunnel of its icicles. The workers, however, were hesitant to go inside the tunnel due to the risk of being buried under the falling ice blocks or taking ill on account of the toxic gas in the tunnel. To allay their fears, Shri Singh himself went inside the tunnel and started clearing the tube alongwith his men. He had made considerable headway in the clearance operation. But at one point when he was clearing a massive icicle a huge block of ice fell on him and three other labourers causing serious head injuries to Shri Singh and minor injuries to the others. The party was immediately evacuated but Shri Singh succumbed to his injuries on way to the hospital.

Shri Vishambhar Singh thus displayed exceptional courage, devotion to duty and sense of responsibility even at the cost of his life.

8. 1550692 SPR (DEM) Jadhav Tukaram Vasantrao

(Effective date of the award : 23rd March, 1985)

During the snow season in 1985, SPR/DEM Jadhav Tukaram Vasantrao was deployed for snow clearance operation on Srinagar-Leh road at KM 147 in Zozila sector. Working in this sector involves the use of most sophisticated machines under hazardous weather conditions in temperatures ranging from —20°C to —4°C.

On the 23rd March, 1985, during snow clearance between Machoi Glacier and Gumri Operator Vasantrao alongwith Capt. Rastogi, who was sitting in co-driver's seat, got completely buried under a fast rolling avalanche. Undaunted by the condition he was in, he extricated himself from the machine buried under the snow alongwith Capt. Rastogi. Though tired and exhausted Shri Vasantarao without wasting any time started retrieving the most valuable and expensive machine. He not only did this against all odds but after having done so, he immediately started the snow clearance in utter disregard of his personal safety.

On the 29th March, 1985 in a similar operation at KM-119.200, SPR Vasantrao with his superb and adroit handling and operation of the Schmidt machine, cleared a 18-metre high and 210 metre long slide by continuously working for 22 hours. Again on the 9th April, 1985, during snow clearance at KM 103.1, he alongwith his team mates, were hit by an avalanche. The team and the machine were partially buried under the snow. Undaunted and undeterred, SPR Vasantrao without losing his nerves extricated himself, his colleagues and the machine to safety and brought one of his team mates pnr Shakal Dev, who had collapsed under stress and strain on his shoulders to the camp reaching there at 0200 hrs.

SPR (DEM) Jadhev Tukaram Vasantrao thus displayed exceptional courage and devotion to duty of a high order.

9. Shri Partap Chand,
Dehradun,
Uttar Pradesh.

(Effective date of the award : 1st April, 1985)

On the 1st April, 1985, Shri Partap Chand, UDC, alongwith one officer and a cashier, was counting cash in the office of the Chief Resident Inspector, DTD & P (Air),

Ministry of Defence, 9 Cross Road, Dehradun when two bandits, armed with pistol, entered the office and attempted to loot the cash at pistol point. Shri Partap Chand showed extraordinary courage and devotion to duty and flung himself on the pistol wielding bandit diverting the directions of the pistol. The other bandit hit Shri Partap Chand with his pistol butt and injured him. But Shri Partap Chand did not lose courage and continued to struggle with the bandit. The bandit tried to shoot from his pistol from a point blank range but he caught hold of the bandit's hand and succeeded in making it ineffective. In the meantime other officers and staff came to the rescue of Shri Partap Chand and caught hold of the bandit. The second bandit despite long chase by other staff members, managed to escape. This act of Shri Partap Chand resulted not only in saving the public money but also in the recovery of large quantity of illegal arms and ammunitions from the criminal's residence and arrest of the other bandit subsequently.

Shri Partap Chand thus displayed exceptional courage and devotion to duty of a high order.

10. 1043325 Dafadar Tasvir Singh, (Posthumous)
Armoured Corps.

(Effective date of the award : 11th June, 1985)

Dafadar Tasvir Singh was serving in the Armoured Regiment since its raising on the 13th May, 1981. On the 11th June, 1985, his regiment was proceeding for field firing training at Babina ranges by a special military train. When the troops were taking lunch, enroute, at Shakurbasti Railway Station, smoke was noticed from the top tarpaulin cover of a three ton vehicle loaded on the train. On hearing the fire alarm, all the men rushed towards the spot and saw helplessly the driver of the vehicle Swar BK Dey apparently electrocuted from overhead high tension wires and lying on the top of the buring tarpaulin.

Dafadar Tasvir Singh climbed on the burning tarpaulin and attempted to pull out Swar BK Dev's body with total disregard to his personal safety. However, due to arching from the overhead high tension cable current, he was also electrocuted and flung down and was subsequently declared dead.

While performing this daring action, in spontaneous reaction to immediate danger to a comrade, knowing fully well the grave risks involved, Dafadar Tasvir Singh laid down his life in supreme sacrifice in the highest traditions of the Army.

11. Wing Commander Kannimangalam Vaidyanathan Seshadri (10030),
Accounts.

(Effective date of the award : 24th June, 1985)

Bombay experienced incessant and very heavy rainfall on the night of the 24th/25th June, 1985, which continued upto 1200 hrs. the next day. Between 0800 hrs. and 1200 hrs. Bombay received an unprecedented 378 mm of rainfall. This resulted in disruption of rail and bus services and no light vehicles could ply in most of the areas. Wing Commander Kannimangalam Vaidyanathan Seshadri of Air Force Station Bombay, was the only officer who managed to reach Air Force Station on that day.

When at about 8.00 hours Wing Commander Seshadri noticed that the water level inside the Station Headquarters Area was rising rapidly, he sensed danger and displaying great presence of mind, he first rushed with all available personnel to the MES Power Station in order to cut off the power supply to the camp area. At that time the power station was having waist-deep water and there was great danger of electrocution. Disregarding this danger and at a great risk to his life, Wing Commander Seshadri went into the Power House and personally put off electrical switches.

Having eliminated the grave danger of electrocution and fires due to short circuiting, the officer then set about the task of preventing damage to service equipment. He marshalled the available personnel to put at height Secret and Confidential publications, Stationery, rations and MT spares etc. He also arranged for food for the NCO's Mess and for the families who were marooned in the Domestic area.

During these seven hours of unprecedented rainfall, Wing Commander Kannimangalam Vaidyanathan Seshadri displayed unflinching courage and determination to prevent loss of life that could have resulted from the flood situation. His timely presence of mind saved costly equipment, documents, rations, office furniture and stationery costing about 4 to 5 lakhs.

12. IC-122376 NAIB RISALDAR MEHAR CHAND, (Posthumous)
Armed Corps.

(Effective date of the award : 27th August, 1985)

Naib Risaldar Mehar Chand was detailed as Commander of a Brazillian Light Armoured Vehicle taken to Polaran for user trials. On the 27th August, 1985, while crossing a railway embankment, the vehicle driven by Captain A.S. Candade one of the trial team officers, stalled on the embankment with half the vehicle across the railway line and rear portion between the tracks. The vehicle could not be extricated despite best efforts. In the meantime, Naib Risaldar Mehar Chand noticed a train heading towards them. He cautioned all the crew members including the Brazillian team to jump off immediately and then went to assist Captain A. S. Candade in getting out from the driver's seat. Before he could jump off himself the railway engine rammed the rear of the vehicle. He was thrown off by the impact and sustained severe and multiple injuries. He succumbed to his injurious on the 29th August, 1985.

Naib Risaldar Mehar Chand thus showed exemplary courage, initiative and dedication of the highest order beyond the call of duty and sacrificed his own life to save others.

13. 4256305 LANCE NAIK Panch Deo Tiwari, (Posthumous)
Bihar.

((Effective date of the award : 2nd September, 1985)

On the 2nd September, 1985, at 2100 hours, Lance Naik Panch Deo Tiwari was manning a Light Machine Gun bunker at a forward post, located 100 metres from the Line of Control, when enemy opened up suddenly with Heavy Machine Gun and Medium Machine Gun fire without any provocation. Under the intense enemy machine gun fire, the post remained virtually under seige continuously for two days and two nights. He silenced one of the Medium Machine Gun bunkers of the enemy in the front.

The enemy fire commenced again with increasing intensity on the 4th September, 1985. Lance Naik Panch Deo Tiwari's bunker being a special target, was being subjected to effective fire from three sides. At 0630 hours, while he was still engaging the enemy with his Light Machine Gun, he was hit in the mouth and chest. At a result, he collapsed and died on the spot.

Lance Naik Panch Deo Tiwari displayed conspicuous courage till he laid down his life in supreme sacrifice.

14. LIEUTENANT COLONEL Kantamnemi Sudhakar Rao (IC-19038), SM,
Engineers.

(Effective date of the award : 28th September 1985)

Lieutenant Colonel Kantamnemi Sudhakar Rao was selected as a permanent crew member of the Indian Army Expedition around the world in a thirty-seven footer fibre glass yacht Trishna. Circumnavigating the globe in the small boat purely on wind power, and sailing through countless severe storms and gales was a daring feat of enterprise and dedication.

Trishna had to sail from the United Kingdom to Bombay, the port from where the expedition was flagged off on the 28th September, 1985. Enroute the United Kingdom to Bombay Trishna ran into fierce storms in the Bay of Biscay, rough weather in the Mediterranean and then again in the Red Sea where the crew had anxious moments when caught in continuous gales in the dark in which the mainsails blew off. They managed to put up fresh sails and safely steered Trishna to Bombay.

Their journey from Mauritius to St. Helena Island, around the Cape of Good Hope, was a story of heroic fight against countless storms when wind intensity increased to sixty-five

knots, whipping up waves to forty-fifty feet height. Tons of water broke over the small boat, washing away the life-saving gear and packing of the wireless. They however, steered Trishna with steel nerves, keeping it on course.

The worst part of the journey was from Auckland to Sydney across the Tasman Sea, where the crew faced one of the worst storms in 100 years. Braving the dangers the crew reached Sydney completely exhausted. The sail from Sydney to Brisbane and further to Cairns and Thursday Island was equally difficult, when they had to steer past the Great Barrier Reef.

Lieutenant Colonel Kantamnemi Sudhakar Rao, Captain of the yacht, had the onerous responsibility of training the crew, passage planning and successful cruise, which he performed with eclat and gallantry. By his personal example, he inspired his teammates to brave all difficulties with equanimity and fortitude.

Lieutenant Colonel Kantamnemi Sudhakar Rao thus displayed gallantry and devotion to duty in the best traditions of the Indian Army.

15. CAPTAIN Sanjeev Shekhar (IC-40307),
Engineers.

(Effective date of the award : 28th September 1985)

Captain Sanjeev Shekhar was selected as a permanent crew member of the Indian Army Expedition around the world in a thirty-seven footer fibre glass yacht Trishna. Circumnavigating the globe in the small boat purely on wind power and sailing through countless severe storms and gales was a daring feat of enterprise and dedication.

Trishna had to sail from the United Kingdom to Bombay, the port from where the expedition was flagged off on the 28th September, 1985. Enroute the United Kingdom to Bombay Trishna ran into fierce storms in the Bay of Biscay, rough weather in the Mediterranean and then again in the Red Sea, where the crew had anxious moments when caught in continuous gales in the dark in which the mainsails blew off. They managed to put up fresh sails and safely steered Trishna to Bombay.

Their journey from Mauritius to St. Selena Island around the Cape of Good Hope, was a story of heroic fight against countless storms when wind intensity increased to sixty-five knots, whipping up waves to forty-fifty feet height. Tons of water broke over the small boat, washing away the life-saving gear and packing of the wireless. They however, steered Trishna with steel nerves, keeping it on course.

The worst part of the journey was from Auckland to Sydney across the Tasman Sea where the crew faced one of the worst storms in 100 years. Braving the dangers the crew reached Sydney completely exhausted. The sail from Sydney to Brisbane and further to Cairns and Thursday Island was equally difficult, when they had to steer past the Great Barrier Reef.

Captain Sanjeev Shekhar as permanent crew member inspite of these adverse conditions during every gale and storm was on the deck to do his watch duty at grave risk to his life, sharing the grave dangers with his teammates with equanimity, fortitude, courage and utmost dedication. Responsible for the food planning, medicines and stocking of the Yacht, he accepted the challenging tasks cheerfully and met them with vigour.

Captain Sanjeev Shekhar thus displayed gallantry and devotion to duty in the best traditions of the Indian Army.

16. Captain Chandrahas Bharti (IC-40346),
Engineers.

(Effective date of the award : 28th September 1985)

Captain Chandrahas Bharti was selected as a permanent crew member of the Indian Army Expedition around the world in a thirty-seven footer fibre yacht Trishna. Circumnavigating the globe in the small boat purely on wind power, and sailing through countless severe storms and gales was a daring feat of enterprise and dedication.

Trishna had to sail from the United Kingdom to Bombay, the port from where the expedition was flagged off on 28th

September, 1985. Enroute the United Kingdom to Bombay Trishna ran into fierce storms in the Bay of Biscay, rough weather in the Mediterranean and then again in the Red Sea where the crew had anxious moments when caught in continuous gales in the dark in which the mainsails blew off. They managed to put up fresh sails and safely steered Trishna to Bombay.

Their journey from Mauritius to St. Helena Island, around the Cape of Good Hope, was a story of heroic fight against countless storms when wind intensity increased to sixty-five knots whipping up waves to forty-fifty feet height. Tons of water broke over the small boat, washing away the life-saving gear and packing of the wireless. They however, steered Trishna with steel nerves, keeping it on course.

The worst part of the journey was from Auckland to Sydney across the Tasman Sea where the crew faced one of the worst storms in 100 years. Braving the dangers the crew reached Sydney completely exhausted.

The sail from Sydney to Brisbane and further to Cairns and Thursday Island was equally difficult, when they had to steer past the Great Barrior Reef.

As permanent crew member, inspite of these adverse conditions during every gale and storm, Captain Chandrahas Bharti was on the deck to do his watch duty at grave risk to his life and shared all difficulties with equanimity, fortitude and courage. He was responsible for the communication and rigging of the yacht, a challenge which he met with utmost dedication.

Captain Chandrahas Bharti thus displayed gallantry and devotion to duty in the best traditions of the Indian Army.

17. Captain Santhanam Kashinathan (Posthumous)
(SS31364), SM,
3 Gorkha Rifle.

(Effective date of the award : 18th December, 1985)

Captain Santhanam Kashinathan was commissioned on 12th March, 1983. After completion of Counter Insurgency Jungle Warfare School training, he had been operating in the insurgency area since June, 1983. The officer had shown a remarkable aptitude for conduct of counter insurgency operation in 'Operation Hitazat' area.

On the 18th December, 1985, Captain Santhanam Kashinathan, in search of an insurgent, in Awangkhul village, received a bullet on his leg. Inspite of being wounded, in his eagerness to catch the insurgent alive, he rushed forward and in the ensuing scuffle received another bullet on his head and died. But till the end, he held on forcing the insurgent to leave his Rifle behind.

Captain Santhanam Kashinathan thus displayed conspicuous courage and laid down his life in supreme sacrifice in the call of duty.

18. FLIGHT LIEUTENANT Naseem Akhtar (14279),
Flying (pilot).

(Effective date of the award : 27th January, 1986)

On the 27th January, 1986, Flight Lt. Naseem Akhtar was detailed for an instructional sortie with a foreign trainee at a flying training base. Shortly after take off, while leaving circuit at 1300 feet above ground level, he experienced severe engine vibrations. He took the correct action of throttling back the engine but in this process the engine flamed out. He then tried a hot re-light, while easing up, which proved to be of no avail. He promptly asked his pupil to eject keeping in view the low height. The pupil was hesitant and did not respond to instructions. At this stage Flt. Lt. Naseem Akhtar would have been fully justified in ejecting himself, since any further delay would have jeopardised his own safety, in view of the low height. Completely disregarding the immediate danger to his own life he decided not to abandon his pupil into the hands of fate. He quickly went over the relight drill and the engine relight seconds before impact with the ground. Opening full power he commenced a climb back towards base. However, shortly thereafter, the engine flamed out again. Flt. Lt. Akhtar himself jettisoned the canopy and asked his pupil to eject. Not being sure of the pupil's reaction he simultaneously attempted relight. This time, however, the pupil ejected, but, even as he did so, the

engine once again picked up, though at a very low height. He coolly assessed the situation and inspite of the high noise level in the cockpit due to a jettisoned canopy and the unreliable engine, he landed the aircraft immediately and safely.

Flight Lieutenant Nasem Akhtar, at great peril to his own life, faced a totally unforeseen situation coolly and lived upto the loftiest ideals of human conduct. He not only saved the valuable life of his pupil but also brought back the aircraft safely.

19. 14371598 GUNNER Gudevada Venkata K Channa Keswar, Artillery. (Posthumous)

(Effective date of the award : 10th February, 1986)

On the 10th February, 1986, on his way back from a friend Gunner Ram Mohan Rao's house at Secunderabad, Gunner Gudevada Venkata K Channa Keswar heard screem for help of the friend's wife. He immediately rushed inside the kitchen and found the lady in flames and struggling hard to save her child and herself. Gunner Rao's daughter had accidentally knocked down a kerosene oil container in the kitchen resulting in a huge fire. He crossed through the flames and rescued the child. Though his own clothes had caught fire, in utter disregard for his own safety, he again rushed back into the kitchen to save the lady who had fallen unconscious due to suffocation and shock. While rescuing her, he got severe burns all over his body. He succumbed to his burn injuries saving the lady and the child.

Gunner Gudevada Venkata K Channa Keswar thus displayed exemplary courage and comradeship of the highest order in supreme sacrifice.

20. G/131735A OEM MAM CHAND SINGH, (Posthumous)

(Effective date of the award : 12th February, 1986)

On the 12th February, 1986, OEM Mam Chand Singh of 153 Formation Cutting platoon was working with his dozer on Hunli-Anini road in Dibang Valley district of Arunachal Pradesh. The place where OEM Mam Chand Singh was working, was about 200 metres above a fast flowing river. The steep slope consisted of loose soil mixed with rock and boulders. Cutting the hillside at that place had been posing problem due to frequent rains and sliding of the hillside. To achieve the target in the laid down time, OEM Singh was deployed to clear this stretch.

On the 12th February, 1986, by 1400 hours, OEM Singh through his diligence and hard work, had made good progress in clearing the stretch and there was hope that the spot would be cleared soon. While he was reversing his dozer, suddenly the road formation towards the valleyside gave way under the track of the dozer, and the dozer started slipping down. Unmindful of his own safety, OEM Mam Chand Singh stayed with the dozer and tried to steer it into a position where it could get a foothold on the formation. Inspite of his best efforts the dozer slipped down by about 75 metres. At this stage he could have jumped out by abandoning the dozer and saved his life but in a determined effort to save the dozer he continued to operate it. The dozer, however, overturned crushing his legs under it. The injuries were grave and he succumbed to them soon after he was evacuated.

OEM Mam Chand Singh thus displayed gallantry and selfless devotion to duty of a high order.

21. LIEUTENANT COLONEL Vijay Kumar Sitaram (IC-17245), Artillery.

(Effective date of the award : 8th March, 1986)

On the 8th March, 1986, while on a reconnaissance mission with the General Officer Commanding and Brigade Commander on Board, the aircraft flown by Lieutenant Colonel Vijay Kumar Sitaram, Flight Commander of an Air Observation Post Squadron, operating in a forward area in Northern Sector was fired upon by enemy with surface to air missiles. With reflex action and superb airmanship, he manoeuvred his air-craft out of the direction of the missile, missing it by inches. Totally unnerved, he continued to take evasive action and landed safely.

A second reconnaissance sortie was launched, with the Brigade Commander on board, to locate the site of the missile system. During this second mission, his aircraft was again engaged by ground fire. With his daring skill and superb airmanship the reconnaissance mission was able to effectively detect the enemy positions. After location, he got airborne again under enemy fire and conducted an accurate artillery shoot destroying the enemy position.

Lieutenant Colonel Vijay Kumar Sitaram thus displayed indomitable courage, a high degree of professional skill and devotion to duty of an exceptional order.

23. LIEUTENANT Kishan Singh Chundawat (01997-N),

(Effective date of the award : 23rd March, 1986)

On the 23rd March, 1986, Lieutenant Kishan Singh Chundawat of Indian Naval Ship Hamla and Lieutenant Manjit Singh Chillar of Indian Naval Ship Kunjali were carrying out canoeing exercises off Aksa Beach, Marve Malad. At about 1320 hours, the officers heard frantic cries for help and saw a group of picnickers were in grave danger of drowning. Lieutenant Chundawat alongwith Lieutenant Manjit Singh Chillar, rushed to the site and saw that the picnickers were badly entangled in the fishing nets.

With immense courage Lieutenant Chundawat began clearing the trapped persons from the fishing nets. Heedless to the danger of getting trapped into the nets, they quickly evacuated the victims to the shore fighting the swell and the under currents and ebb tide. The victims, four girls and two boys, aged between 17 and 21 years, were in a critical condition. Lieutenant Chundawat immediately cleared the foul objects from the throat, opened their air ways and began mouth to mouth resuscitation.

It was extremely strenuous for the officer to have conducted mouth to mouth resuscitation for three persons at a time. But all the three of them were revived. At this stage, a person from the crowd which had gathered, informed the officer that two more persons of their group were missing. Immediately Lieutenant Chundawat alongwith Lieutenant Chillar rushed back to the site, though very tired by this time. The officers cleared up the entire fishing nets along with the anchors and were successful in bringing the nets to the shore. However, unfortunately the missing persons were not found. At about 1415 hours two bodies were seen floating in the sea which were recovered by the officers. These two persons were also given artificial respiration but their efforts were fruitless as they were already dead.

Lieutenant Kishan Singh Chundawat thus displayed conspicuous courage with a very high sense of duty towards fellow beings in total disregard of his personal safety.

23. LIEUTENANT Manjit Singh Chillar (02191-B),

(Effective date of the award : 23rd March, 1986)

On the 23rd March, 1986, Lieutenant Manjit Singh Chillar of Indian Naval Ship Kunjali and Lieutenant Kishan Singh Chundawat were carrying out canoeing exercises off Aksa Beach, Marve Malad. At about 1320 hours the officers heard frantic cries for help and saw a group of picnickers in grave danger of drowning. Lieutenant Chillar along with Lieutenant Chundawat rushed to the site and saw that the picnickers were badly entangled in the fishing nets.

With immense courage the officer risking his own life, began to clear the persons from the fishing nets. Heedless to the danger of getting trapped into the nets, they quickly evacuated the victims to the shore. The six victims, four girls and two boys, were in a critical condition. Lieutenant Chillar along with Lieutenant Chundawat immediately cleared the airways and began mouth to mouth resuscitation.

It is needless to mention that it was extremely strenuous for the officers to have conducted mouth to mouth resuscitation for three persons at a time. However, he saved all of them. At this stage one of the relatives of the victims who joined the crowd informed the officer that two persons of the group were still missing. Immediately the officer along with Lieutenant Chundawat rushed back to the site and searched for the missing persons. The officers cleared up the

entire fishing net along with anchors and brought it to the shore . Unfortunately the persons were not found. At about 1415 Hours two bodies were seen floating in the sea and were recovered by the officers. Though they were also given mouth to mouth resuscitation, the efforts were fruitless as they were already dead.

Lieutenant Manjit Singh Chillar thus displayed conspicuous courage and a very high sense of duty towards fellow beings in total disregard of his personal safety.

24. LIEUTENANT Fernandes Francis (SS-31540), Armoured Corps (Posthumous)

(effective date of the award 7th May, 1986)

On the 7th May, 1986, Lieutenant Fernandes Francis was detailed as Commander of a tank for floatation training at Tara Dam, West Bengal, for conduct of an Infantry Division Exercise "Jay Vasant". In addition to the crew of four, the tank had on board one officer and ten other ranks deployed for watermanship training.

After the tank had been afloat for a few minutes and had proceeded approximately 75 metres from the shore, it suddenly tilted at an angle and stopped. When the driver was unable to extricate the tank, Lieutenant Fernandes Francis quickly got into the driver's seat and managed to extricate the tank from its earlier position. However a few seconds later, it was noticed that the tank was sinking into the water from the rear. The officer quickly came out of the driver's cupola and ordered all personnel on board to come forward towards the front side of the tank to stabilise it but was unsuccessful. Seeing that there was little hope to prevent the tank from sinking, he ordered all personnel including the crew to take off their boots and jump into the water and himself got back into the driver's seat to make a last ditch effort. Unfortunately, the valiant officer's effort was unsuccessful and in a matter of seconds, the tank sank drowning him.

Lieutenant Fernandes Francis thus displayed conspicuous courage, devotion to duty of a very high order and laid down his life in an act of supreme sacrifice.

25. CAPTAIN Virinder Singh Garewal (IC-37389), Dogra.

(Effective date of the award 9th May, 1986)

On the 9th May, 1986, information was received that five hostiles had taken refuge in Neginimora area in Nagaland with the intention of indulging in violent activities in the area. Simultaneously, another reliable information confirmed the presence of a female hostile in the house of Mr. Tongpenth Konyak, in Neginimora. A patrol party under the command of Captain Virinder Singh Garewal, accompanied by Subedar Major Harak Singh Bisht, was tasked to apprehend the hostile. The patrol party cordoned of the house and apprehended SS L/Cpl. (Mrs.) NGG Ipen Kenyak wife of SS Lt. Angneyi Konyak. While the patrol party was returning with the apprehended hostile, the officer observed a suspicious light in a house enroute and decided to carry out the search of the house. During the search, one unidentified individual jumped out through the window of the room and tried to escape under the cover of darkness. Instantly Captain Garewal pursued the fleeing hostile, who whipped out his pistol. Before he could fire, the officer showing tremendous courage knocked it out and pounced on the insurgent to take him alive. By then the patrol party had reached the scene. The apprehended hostile was later identified as SS Sgt. Maj. IMTI A. O. Another hostile was physically overpowered after a scuffle by Sub Major Harak Singh Bisht. Search of the house led to the apprehension of four hostiles, ammunition and weapons.

Captain Virinder Singh Garewal thus displayed gallantry, inspiring leadership and utmost dedication to duty in the highest tradition of the Army.

26. SECOND LIEUTENANT Rajiv Puri (IC-42874), 6/8 Gorkha Rifles.

(Effective date of the award 10th May 1986)

In the month of March, 1986, enemy taking advantage of poor visibility and bad weather, had managed to occupy a feature at an altitude of 19000 feet in the Siachen Glacier area. This position overlooked our posts in the area of Bila Foundla.

On the night of 10th May, 1986, Second Lieutenant Rajiv Puri was entrusted with the most difficult task of evicting the enemy from this post. Knowing fully well the dangers involved, he volunteered to carry out this formidable task. Moving under the nose of the enemy with cool courage, this officer crawled, under the enemy's firing over an ice wall using one one rope for himself and his team. Under his dynamic leadership the troops soon found themselves on the summit behind the enemy post. The enemy who never expected an attack from such a perilous ascent was totally taken by surprise.

In a daring assault on the enemy's nest, his team of eleven brave men attacked, lobbying handgrenades and firing on the move on that precarious perch and captured the position. The enemy fled leaving behind their equipment and weapons, which included two Medium Machine Guns, a Sub Machine gun, an automatic rifle, a rocket launcher and stacks of ammunition.

The enemy retaliated with all its fury directing accurate heavy machine gun fire and pounded Dalal Top with over 200 artillery bursts. However, he alongwith his men braved it and held the post like a rock.

Second Lieutenant Rajiv Puri thus displayed cool nerves and conspicuous courage, complete dedication and an inspiring leadership, under extremely adverse and trying conditions.

27. 4449703 Lance Havildar Makhan Singh, The Sikh Light Infantry.

(Effective date of the award 10th May 1986)

In the Siachen Glacier area the enemy has repeatedly attempted to gain possession of Bila Fondla, or dominate it. Taking advantage of poor visibility due to bad weather, the enemy had managed to occupy a feature at an altitude of 19000 feet which rendered defences of Bila Foundla practically untenable.

On the night of 10th May, 1986, Lance Havildar Makhan Singh, who had been serving in the area, was deployed in the special Task force tasked to evict the enemy from this position. Inspite of being fatigued by the regular night maintenance activity, he volunteered to lead the assault team. It involved moving under the nose of the enemy. With no knowledge of mountaineering, he managed to crawl over an ice wall to get behind the enemy post. Taking them by surprise, he alongwith his team attached the enemy Medium Machine Gun and captured the post after a bitter exchange of fire. The enemy abandoned the post and fled leaving behind their personal equipment and weapons including two Medium Machine Guns, a sub-machine gun, an automatic rifle, a rocket launcher and stacks of ammunition.

In retaliation the enemy opened up with all its fury, directing accurate heavy machine gun fire and pounding Dalal Top with over 200 artillery shells during the day. Undaunted by the intense enemy attack, he alongwith his men held the post stead fastly like a rock.

Lance Havildar Makhan Singh thus displayed exemplary courage and devotion to duty of a high order.

28. Shri Naresh Kumar Gupta, (posthumous)
Banda,
Uttar Pradesh.

(Effective date of the award 12th May, 1986)

On the 12th May, 1986, at 8.00 p.m., some anti-social elements were teasing and planning to kidnap a 16 to 17 year old girl, who was on her way home, near the house of Shri Naresh Kumar Gupta. On hearing the desperate cries of the girl, Shri Gupta came out of his house and asked them not to tease her. This led to a scuffle in which Shri Gupta faced the hooligans bravely inspite of his having been unarmed. The hooligans attacked Shri Gupta with knives. He was badly wounded. He was rushed to the hospital where he succumbed to his injuries.

Shri Naresh Kumar Gupta thus showed a rare example of chivalry and self-sacrifice in saving the honour of a young girl.

29. Shri Shridhar Ganpat Kabe,
Pune,
Maharashtra.

(Effective date of the award 13th June, 1986)

On the 13th June, 1986, at about 1.00 p.m., three intruders, armed with pistols, entered the Ganeshkhind Branch of Union Bank of India with an intention to rob it. Shri Shridhar Ganpat Kabe, a Cashier in the Bank, was in the cash cabin. One of the robbers pointed a pistol at him and asked for the keys of the cash safe. The armed robber also demanded to know the location of the cash safe. Shri Kabe displayed tremendous presence of mind and courage by misguiding the robber to the rear gate of the bank and then pushing him out and simultaneously raising an alarm. He was fired upon by the robber and was injured in the arm. The robbers then tried to flee without taking any cash. Despite his injury, Shri Kabe attempted to chase the robber, but could not pursue him for long due to loss of blood. His leadership and courage inspired the other members of staff who mustered up courage to resist and apprehend the robbers despite their being unarmed.

Shri Shridhar Ganpat Kabe thus exhibited exemplary courage and presence of mind in thwarting an attempted bank robbery.

30. Shri Pandurang Tukaram Bhargude, (posthumous)
Pune,
Maharashtra.

(Effective date of the award 13th June, 1986)

On the 13th June, 1986, at about 1.00 p.m., three intruders, armed with pistols, entered the Ganeshkhind branch of Union Bank of India with an intention to rob the bank. Shri Pandurang Tukaram Bhargude, a peon in the bank, had just returned from the Post Office when he heard the commotion in the bank. He had the choice to flee, but he decided to rush in, to assist his collegues through the front door. He received a futal burst of the robbers bullets, who were shooting recklessly. He was rushed to the hospital, where he succumbed to his injuries.

Shri Pandurang Tukaram Bhargude thus exhibited conspicuous courage, self-sacrifice and a tremendous sense of devotion to duty in utter disregard of his own safety in thwarting an armed robbery in the bank.

31. Shri Prakash Tatyaba Shinde,
Pune,
Maharashtra.

(Effective date of the award 13th June, 1986)

On the 13th June, 1986, at about 1.00 p.m., three intruders, armed with pistols, entered the Ganeshkhind Branch of the Union Bank of India with an intention to rob it. Shri Prakash Tatyaba Shinde, a clerk in the bank, heard Shri Shridhar Ganpat Kabe, the Cashier, shouting in distress and saw the robbers shooting at Shri Kabe and fleeing on a scooter. Shri Shinde, ran out immediately and although totally unarmed, he tried to block the getaway scooter of the robbers by ramming it with his Moped. He was, however, fired upon, and he fell down with his moped after receiving bullet injury in his arm.

Shri Prakash Tatyaba Shinde showed tremendous courage and sense of duty in facing armed robbers and thwarting their attempt in robbing the bank.

32. Shri Nirmal Singh,
District Jalandhar,
Punjab.

(Effective date of the award 19th June, 1986)

On the 19th June, 1986, three dacoits, armed with pistols, tried to loot the Aora branch of Canara Bank. As soon as the alarm of the Bank went on, the shopkeepers put down their shutters and many people gathered on the roof tops with bricks and stones to face the dacoits. People barricaded the road by which the dacoits had come. One of the members of the public, Shri Nirmal Singh, an ex-serviceman, organised the blockade. He went to his house to collect his gun to resist the dacoits. When Shri Nirmal Singh came back with his gun, the dacoits were running away in the opposite direction and were being chased by the public. Shri Nirmal Singh also joined the chase and fired at the dacoits with his gun. The dacoits returned the fire. The exchange of fire took place till the dacoits reached a truck parked on the road 2-3 furlongs away from the bank. They managed to run away in the truck. Shri Nirmal Singh was injured in the exchange of fire.

Shri Nirmal Singh thus displayed gallantry at grave risk to his own life.

33. G/66564H DES Bali Ram, (posthumous)

(Effective date of the award 14th July 1986)

DES Bali Ram of 452 Road Maintenance Platoon, General Reserve Engineer Force, was employed at Nasik for the construction of a hill road. He was assigned the task of operating and maintaining a compressor between KM 5 and 6 on the road alignment which passes through vertical cliffs.

During rains in August, 1986, drilling was the critical activity which had to be kept on to achieve the given targets. Because of the hazardous conditions, the compressor operators were hesitant to move with their compressors in this dangerous area. But DES Bali Ram volunteered to go forward with the first compressor. He kept on working on the leading compressor for over one month and encouraged others to work.

On the 14th July, 1986, when the drilling was going on at KM 5.7 on this particular dangerous part of the area, a loose rock disturbed by the vibrations of the compressor fell and hit DES Bali Ram on the head resulting in his instantaneous death. DES Bali Ram in the performance of his task showed extreme sense of devotion to duty and set an example of the highest order for other co-workers.

DES Bali Ram thus displayed gallantry of the highest order under adverse conditions and laid down his life.

S. NILAKANTAN
Deputy Secretary to the President

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING

RULES

New Delhi, the 11th April 1987

No. 10/2/87-CS.II.—The rules for a limited departmental competitive examination for inclusion in the Select List for Grade C of the Central Secretariat Stenographers Service, Grade 'C' of the Central Vigilance Commission Stenographers' Service, Grade II of the Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service (B), Grade C of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and Grade 'C' of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service to be held by the Staff Selection Commission in 1987 are published for general information.

2. The number of persons to be selected for inclusion in the Select Lists will be specified in the Notice issued by the Commission.

Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories), Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956 the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar

Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) Uttar Pradesh Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976, the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978, and the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.

3. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held, shall be fixed by the Commission.

4. Conditions of eligibility.—Any permanent or temporary regularly appointed officer, belonging to Grade D or Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Central Vigilance Commission Stenographers' Service/Stenographers Cadre of the Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service who satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examination and compete for vacancies in his service only that is Grade D Stenographers' of the Central Secretariat Stenographers' Service will be eligible for the vacancies in Grade 'C' of the Service, Grade 'D' Stenographers of Central Vigilance Commission Service will be eligible for the vacancies in Grade 'C' of the Central Vigilance Commission, Grade III Stenographers of the Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service (B) will be eligible for the vacancies in Grade II of the Stenographers' of the Cadre of the Indian Foreign Service (B), the Grade 'D' Stenographers of the Armed Forces Headquarters Stenographers' service will be eligible for the vacancies in Grade 'C' of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and the Grade 'D' Stenographers' of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service will be eligible for vacancies in Grade 'C' of the Railway Board Secretariat Stenographers' service.

(a) Length of Service.—He should have, on the crucial date, that is on 1-1-1987, rendered not less than 3 years approved and continuous service in Grade D or Grade III of the Service.

NOTE:—Grade D officers who are on deputation to ex-cadre post with the approval of the competent authority and those having a lien in Grade 'D'/ Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Central Vigilance Commission Stenographers' Service/Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

Provided that if he had been appointed to Grade 'D' of the Central Secretariat Stenographers' Service/Grade 'D' of the Central Vigilance Commission Stenographers' Service/Grade 'D' of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service/Grade III of the Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service (B)/Grade D of the Railway Board Secretariat Stenographers Service on the results of the competitive examination, including a limited departmental competitive examination result of such examinations should have been announced not less than three years before the crucial date and he should have rendered not less than two years approved and continuous service in the Grade.

(b) Age.—He should not be more than 50 years of age on the 1st January, 1987, i.e. he must not have been born earlier than 2nd January, 1937.

(c) The upper age limt prescribed above will be further relaxable—

(i) upto a maximum of five years if a candidates belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribes;

(ii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced person from Bangladesh (erstwhile East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964 (but before 26th March, 1971);

(iii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from Bangladesh (erstwhile East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964 (but before 26th March, 1971);

(iv) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) upto a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganiyka and Zanzibar);

(vii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganiyka and Zanzibar)

(viii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India or or after 1st June, 1963;

(x) upto a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(xi) upto a maximum of eight years in the case of Defence Service personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof and who belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xii) upto a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo--Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof;

(xiii) upto a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations, during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and who belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xiv) upto a maximum of three years if the candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Vietnam and has migrated to India not earlier than July, 1975; and

(xv) upto a maximum of eight years if the candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Vietnam and has migrated to India not earlier than July, 1975;

(xvi) upto a maximum of 3 years if a person is displaced from the erstwhile West Pakistan and has migrated to India during the period from 1st January, 1971 to 31st March, 1973; and

(xvii) upto a maximum of 5 years in addition to the relaxation as at (xvi) above if a candidate belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe and displaced from the erstwhile West Pakistan and has migrated to India during the period from 1st January, 1971 to 31st March, 1973.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED SHALL IN NO CASE BE RELAXED.

(d) Stenographer Test.—Unless exempted from passing the Commission's Stenography test for the purpose of confirmation or continuance in Grade D/Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Central Vigilance Commission Stenographers' Service/Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service, he should have passed the Test on or before the date of notification of the examination.

Note :—Grade D or Grade III Stenographers who are on deputation of ex-cadre posts with the approval of the competent authority and those having a lien in Grade D/Grade III of the Service will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

This, however, does not apply to a Grade D/Grade III, Stenographer who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer and does not have a lien in Grade D/Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Central Vigilance Commission Stenographers' Service/Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

7. Candidates must pay the fee prescribed in para 5 of the Commission's Notice.

8. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit, or, as the case may be abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses,

may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period :—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

9. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission, in five separate lists, in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified in the examination shall be recommended for inclusion in the Select Lists of Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service/Central Vigilance Commission Stenographers' Service/Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers' Service upto the required number.

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may to the extent the number of vacancies in the Central Secretariat Stenographers' Service/Central Vigilance Commission Stenographers' Service/Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers' Service reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for inclusion in the Select Lists or Grade 'C' of the Central Secretariat Stenographers' Service/Central Vigilance Commission Stenographers' Service/Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers' Service irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

Note :—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in the Select List for Grade C/Grade II of the Central Secretariat Stenographers' Service/Central Vigilance Commission Stenographers' Service/Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service (B)/Grade 'C' of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers' Service on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate, will, therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of performance in this examination as a matter of right.

10. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in its discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

11. Success in the examination confers no right to selection unless the cadre authority is satisfied, after such enquiry as may be consideded necessary that the candidate, having regard to his conduct in service, is suitable in all respect for selection.

12. A candidate, who after applying for admission to the examination or after appearing at it resigns his appointment in the Central Secretariat Stenographers' Service or Central Vigilance Commission Stenographers' Service or Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service (B) or Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers' Service or otherwise quits the service or severes his connection with it or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on "transfer" and does not have a lien in Grade D of the Central Secretariat Stenographers' Service or Central Vigilance Commission Stenographers' Service or Grade III of Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service (B) or Grade D of Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers' Service will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a Grade D/Grade III Stenographer who has been appointed on deputation to an ex-Cadre post with the approval of the competent authority.

H. G. MANDAL, Under Secy.

APPENDIX

The subjects of the written examination and the maximum marks for each subject will be as follows :—

PART—A—WRITTEN TEST

Subject	Time allowed	Maximum Marks
(i) General English	1½ hours	50
(ii) Essay	1½ hours	50
(iii) General Knowledge	3 hours.	100

PART B.—SHORTHAND TEST IN HINDI OR IN ENGLISH (FOR THOSE WHO QUALIFY AT THE WRITTEN TEST) 200 MARKS.

Note :—Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters and for this purpose they will be required to bring their own typewriters with them.

PART C.—EVALUATION OF RECORD OF SERVICE OF SUCH OF THE CANDIDATES AS MAY BE DECIDED BY THE COMMISSION IN THEIR DISCRETION CARRYING A MAXIMUM OF 100 MARKS.

2. The syllabus for the Written Test and the scheme of the Shorthand Tests will be as shown in the Schedule to this Appendix.

3. Candidates are allowed the option to answer the papers (ii) Essay and (iii) General Knowledge, either in Hindi or in English and the medium opted (i.e. Hindi or English) should be the same for both the papers mentioned above. Candidates who opt to answer both these papers in Hindi will be required to take the shorthand test also in Hindi and those who opt to take them in English will be required to take the shorthand test also in English. Paper (i) General English must be answered by all candidates in English.

Note :—Candidates desirous of exercising the option to answer papers on (ii) Essay and (iii) General Knowledge of the Written Test and take shorthand test in Hindi (Devnagari) should indicate their intension to do so in Col. 6 of the application form otherwise it will be assumed that they will take the Written Test and Shorthand Test in English.

The option once exercised shall be treated as final and no requests for alteration in the said column shall be ordinarily entertained.

NOTE 2 :—Candidates who opt to take the shorthand test in Hindi will be required to learn English Stenography and vice versa after their appointment.

NOTE 3 :—No credit will be given for answers written or shorthand test taken in a language other than the one opted by the candidate.

4. Candidates who satisfy the minimum qualifying standard in the dictation at 120 words per minute will rank above the candidates who obtain the same standard in the dictation at 100 words per minute, person in each group being arranged inter se in order of their merit as disclosed by the aggregate marks awarded to each candidate (c.f. Part B of the Schedule below).

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of subscribe to write answer for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

7. Only those candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written test as may be fixed by the Commission in their discretion will be called for shorthand test.

8. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

9. Deduction upto 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.

10. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

PART—A

Standard and Syllabus of the Written Test.

NOTE :—The standard of the question papers in Part A will be approximately that of the Matriculation examination of an Indian University.

General English—The paper will be designed to test the candidates' knowledge of English Grammar and Composition and generally their power to understand and ability to write correct English. Account will be taken of arrangement of general expression and workmanlike use of the language. The paper may include questions on precis writing, drafting correct use of words, essay, idioms and prepositions, direct and indirect speech, etc.

Essay—An essay to be written on one of the several specified subjects.

General Knowledge—Some knowledge of the Constitution of India, Five-Year Plans, Indian History and Culture, General and Economic Geography of India, current events, every day science and such matters of everyday observation, as may be expected of an educated person. Candidates answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any test book.

PART—B

Scheme of Shorthand Tests

The Shorthand tests in English will comprise two dictation tests, one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for ten minutes which the candidates will be required to transcribe in 45 and 50 minutes respectively.

The shorthand Test in Hindi, will comprise two dictation tests one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for 10 minutes which the candidates will be required to transcribe in 60 and 65 minutes respectively.

New, Delhi, the 11th April 1987.

RULES

No. 4/9/87-CS-I.—The rules for a combined Grade-I (Under Secretary) Limited Departmental Competitive Examination for Scheduled Caste/Scheduled Tribe Candidates to be held by the Union Public Service Commission in 1987 for additions in the Select Lists for Grade-I of the Services mentioned below are, with the concurrence of the Ministries concerned published for general information.

CATEGORY-I

Grade-I of the Central Secretariat Service.

CATEGORY-II

Grade-I of the General Cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B'.

1. The number of persons to be selected for inclusion in the Select List for each grade will be specified in the Notice issued by the Commission.

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. Permanent Officers or any Officer whose name has been included in the Select List of the grades and services mentioned in Column I below who belongs to Scheduled Castes/Schedules Tribes and who on 31st December 1986 satisfy the conditions regarding length of service mentioned in Column 2 shall be eligible to appear at the examination for the category of service mentioned in Column 3.

Column 1	Column 2	Column 3
1	2	3
Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service and/or Grade 'A' of the Central Secretariat Stenographers' Service.	Not less than 4 years approved and continuous service in the Section Officer's Grade of the Central Secretariat Service or in Grade 'A' of the Central Secretariat Stenographers' Service or in both as the case may be.	Category-I
Integrated Grades II and III of the General Cadre and/or Selection Grade of the Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service 'B'.	Not less than 4 years approved and continuous service in Integrated Grade II and III of the General Cadre or in Selection Grade of the Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service 'B' or in both as the case may be.	Category-II

NOTE (1) :—In the case of Grade 'A' Officers of the Central Secretariat Stenographers' Service and Selection Grade of the Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service, Branch (B), the approved service shall include half of the approved service rendered in Grade 'B'/Grade-I of that service.

NOTE (2) :—Any period of absence on Military duties may be allowed to be counted towards the prescribed length of service in any of the above posts.

NOTE (3) :—(i) Section Officers of the Central Secretariat Service and Grade 'A' of the Central Secretariat Stenographers Service and (ii) Officers of the Integrated Grade II and III of the General Cadre and Selection Grade of Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service Branch (B), who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority shall be eligible to be admitted at the examination if otherwise eligible.

Provided that it shall not apply to an Officer who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer and does not have a lien in the respective Grade mentioned at (i) and (ii).

4. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

5. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

6. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) Obtaining support for his candidature by any means; or

(ii) Impersonating; or

(iii) Procuring impersonation by any person; or

(iv) Submitting fabricated document or documents which have been tampered with; or

(v) Making statements which are incorrect or false, or suppressing material information; or

(vi) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or

(vii) Using unfair means during the examination; or

(viii) Writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter in the script(s) or

(ix) Misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) Harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination; or

(xi) Violating any of the instructions issued to candidates alongwith their Admission Certificate permitting them to take the examination; or

(xii) Attempting to commit or as the case may be abetting the commission of all or any of the act specified in the foregoing clauses.

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by te Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period :—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after :—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him, into consideration.

7. The names of the candidates who are considered by the Commission to be suitable for selection on the results of the examination shall be arranged in the order of merit in a single list for candidates belonging to both the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and in that order as many candidates as are found by the Commission to be qualified, shall be recommended for inclusion in the Select Lists, upto the required number.

NOTE :—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in each Select List on the result of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this examination, as a matter of right.

8. The form and manner of commmunication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

9. Success in the examination confers no right to selection unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate having regard to his conduct in service, is eligible and suitable in all respects for selection.

Provided that the decision as to ineligibility for selection in the case of any candidate recommended for selection by the Commission shall be taken in consultation with the Commission.

10. Candidates who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment or otherwise quits the service or severs his connection with it or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another Service on transfer and does not have a lien in the grades and Services mentioned in the Column 1 of Rule 3 above will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a person who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

G. P. KALRA, Dy. Secy.

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following Plans :—

Part-I :—Written examination consisting of two papers in the following subjects each carrying 200 marks :—

Paper-I :—Procedure & Practice in the Government of India Secretariat and Attached Offices.

(For Categories I and II)

Paper-II :—General knowledge of the Constitution of India and Machinery of Government, Practice & Procedure in Parliament.

The papers will be of 2½ hours duration each.

Part-II :—Evaluation of CRs and interview of such of the candidates as may be decided by the Commission in their discretion—200 marks.

2. Syllabus of the examination will be as shown in the Schedule.

3. Candidates are allowed to option to answer the papers either in English or Hindi (Devanagari). Question papers will be set in English and Hindi.

Note (1) :—The option will be same for all the Questions and not for different questions in the same paper.

Note (2) :—Candidates desirous of exercising the option to answer the papers in Hindi (Devanagari), should indicate their intention to do so in the relevant column of the Application Form. Otherwise it would be assumed that they would answer all papers in English. The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in the said Column shall be entertained.

Note (3) :—Candidates exercising the option to answering the papers in Hindi (Devanagari) may, if they so desire; give English version within brackets of the description of the technical terms, if any, in addition to the Hindi version.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances they will be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

5. The Commission have the discretion to fix qualifying marks in any or both the parts of the examination. Only those candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commisson in their discretion will be considered for evaluation of CRs and called for interview.

6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

7. Deduction upto 5 per cent of the maximum marks in the written subjects will be made for illegible handwriting.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of examination

9. Candidates should use only International Form of Indian Numerals (e.g. 1, 2, 3, 4, 5 etc.) while answring question papers.

SCHEDULE

Syllabus of the Examination

Where knowledge of the Rules, Orders, Instructions etc. is required, candidates will be expected to be conversent with amendments issued upto the date of notification of this examination.

Procedure & Practice in Government of India Secretariat and Attached Offices : (For categories I and II).

This is intended to be an intensive and detailed test in methods and procedure of work in the Government of India Secretariat and Attached Offices. Some guidance on the subject can be obtained from:—

(i) Manual of Office Procedure current at the time of the Notification.

(ii) Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training and Management.

(iii) "Hand Book on Orders regarding use of Hindi for Official purposes of the Union" issued by the Ministry of Home Affairs.

General Knowledge of the Constitution of India and Machinery of Government, Practice and Procedure in Parliament :

Note :—Knowledge of the following will be expected (i) the main principles of the Constitution of India, (ii) Rules of Procedures and Conduct of Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and (iii) the organisation of the Machinery of Government of India—designation and allocation of subjects between Ministries, Departments and Attached and Subordinate Offices and their relation interse.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS & WILDLIFE

New Delhi-110003, the 5th March 1987

No. E-12014/2/84-Ka Hindi.—Government of India, Ministry of Environment & Forests have introduced a Scheme for awards to Indian Authors of Original works in Hindi on subjects relating to Environment, Forestry, Wildlife and Ganga Project. The main features of the scheme are as follows :—

1. TITLE OF THE SCHEME

The Scheme shall be known as Award for original books in Hindi in the field of Environment, Forestry, Wildlife and Ganga Project.

2. OBJECTIVE AND SCOPE

2.1 The objective of the scheme is to, promote original authorship on books concerning Environment in Hindi by conferring recognition to the Indian authors who bring out original Hindi books.

2.2 Subjects relating to Environment, identified for the purpose are given below :—

1. Pollution Control
2. Environmental Impact Assessment
3. Ecological Regeneration and Development
4. Forests : Resources and development
5. Wildlife
6. Research Promotion
7. Environmental Education
8. Conservation of Nature.

Indian authors who publish books on any of the above mentioned subjects are eligible to offer entries for consideration for the award. The publishers or any other person or institution can also, on behalf of the authors, offer entries of original books for grants of the award.

3. AMOUNT OF AWARD

3.1 Every calendar year, awrads will be given, as under, to the best these and other entries :—

First prize	Rs. 5000/-
Second prize	Rs. 3000/-
Third prize	Rs. 2000/-

Five Consolation prizes of Rs. 1000/- each. The winner of an award as above will not be entitled to claim any other advantage or assistance from the Ministry.

3.2 If, in any year, it is found that there are no entries of appropriate standard, the decision of the Ministry of Environment and Forests in this behalf will be final.

4. SALIENT FEATURES OF THE SCHEME

4.1 The Scheme will be administered by the Ministry of Environment & Forests.

4.2 The Scheme will be made for each calendar year. Eligible, original, published works in Hindi during the previous year will be considered. However, to begin with, for the calendar year 1987 books written/published earlier than 1986 will also be considered.

4.3 The books submitted during a calendar year, will be assessed by an Evaluation Committee set up by the Ministry of Environment & Forests for recommendations. The final decision will rest with the Secretary, Ministry of Environment & Forests.

4.4 Any book which has received any award, subsidy or any other financial assistance under any other scheme operated by the Government of India, any State Government of Private body would not be eligible for consideration of an award under this scheme.

(a) no author will be awarded more than one prize for one calendar year;

(b) the books selected will be recommended for bulk purchase in Ministry of Environment & Forests and its offices on a need basis.

5. PROCEDURE FOR SELECTION OF RECEIPIENTS

5. The Ministry of Environment & Forests will invite applications for award of prizes from authors through a notice published in leading newspapers in English and Hindi.

6. EVALUATION COMMITTEE

6.1 The Evaluation Committee shall be constituted by the Ministry of Environment & Forests and shall consist of Four members including its Chairman. The Committee, if it so desires, can co-opt experts upto two members for assisting the Committee.

6.2 If any member of the Evaluation Committee himself is to be considered for the award of the prize, in a particular year, he shall cease to be a member of the Evaluation Committee for that particular year.

6.3 Honararium, as may be fixed, shall be paid to each Member including the Chairman of the Evaluation Committee, for the evaluation made by him, of the books submitted by the candidates.

6.4 After acceptance of the recommendations of the Evaluation Committee by the Ministry, the prizes shall be announced.

6.5 The names of the members of the Committee and the proceedings of the Evaluation Committee will be confidential

7. GENERAL

7. Employees of Ministry of Environment & Forests and its Offices will also be allowed to participate in the above, scheme but the books written in Hindi by the Employees of Ministry of Environment & Forests etc. shall be judged with reference to the special facilities available to them.

7.2 Other Government servants who wish to participate in the said scheme will have to obtain necessary permission of the competent authority concerned for receipt of ward before submission of the entires for consideration.

7.3 The scheme, as announced now, will be a regular annual feature. However, depending on the response, the continuity of the scheme will be reviewed by the Ministry.

ORDER

ORDERED that a copy each of this resolution be sent to all the state governments, all the ministries and departments of the Government of India, all the Universities of India and News agencies.

ORDERED that this resolution should be published in the Gazette of India for general information.

K. B. IYER, Jt. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
DEPARTMENT OF POSTS

New Delhi-110 001, the 20th March 1987

No. 11-1/83-LI.—The President is pleased to make the following further amendments to the Postal Life Insurance and Endowment Assurance Rules, namely :—

1. (i) These rules may be called the Postal Life Insurance and Endowment Assurance (Amendment) Rules, 1987.

(ii) They shall come into force on the 20th day of March 1987.

2. In the Postal Life Insurance and Endowment Assurance Rules, in Rule 2 :—

(i) after sub-rule (22), inserted vide Notification No. 11-3/84-LI dated 15-11-85 the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(23) All regular employees of Regional Rural Banks".

(ii) The existing sub-rule (23) and sub-rule (24) shall be renumbered as sub-rule (24) and rule (25) respectively.

(iii) Add the word "and (23)" after the word sub-rule (22) in sub-rule (24) so renumbered.

(vi) The note below existing sub-rule (22) shall be deleted.

(v) To the new sub-rule (23) so inserted, the following note shall be added.

"NOTE :—In case of persons mentioned in sub-rules (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22) and (23), the premium shall be paid in cash at the Post Office selected by them".

This issues with the concurrence of Ministry of Finance (Department of Economic Affairs, Insurance Division), Government of India, New Delhi vide their D. O. No. 19 (Actl. (1)/78 dated 22-5-86 and Postal Finance Diary No. 840/FAP/87 dated 2-3-1986.

P. B. BISWAS, Director (PLI)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1987